जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की एक सहायक इकाई) ग्राम– ताड़ावास चूना पत्थर खदान क्षेत्र ब्लॉक – 4 जी–2–ए, गाँव –ताड़ावास, बेरावास, भावंडा और खोड़वा, तहसील – खींवसर, जिला– नागौर (राजस्थान) प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान/समूह–2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021), खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी/अपशिष्ट 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष–एम.टी.पी.ए.), क्रेशर क्षमता 1000 टन प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन क्षमता 10.0 एम.टी.पी.ए.,खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई आज दिनांक 18/05/2023 को सुबह 11:00 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरावास के सामने खुले मैदान में गाँव – बेरावास, तहसील – खींवसर, जिला– नागौर (राजस्थान) मे की गई।

जन सुनवाई मे उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है। जन सुनवाई हेतु आम सूचना समाचार पत्रों " दैनिक भास्कर के क्षेत्रीय संस्करण में दिनांक 12.04.2023 एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीय संस्करण में दिनांक 13.04.2023" को प्रकाशित करवा दी गई थी।(प्रति संलग्न) जनसुनवाई का विवरण निम्न प्रकार है:–

सर्वप्रथम श्रीमती सविता, क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि आज की जन सुनवाई मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की एक सहायक इकाई) के चूना पत्थर खदान क्षेत्र ब्लॉक – 4 जी–2–ए, गाँव –ताड़ावास, बेरावास, भावंडा और खोड़वा, तहसील – खींवसर, जिला– नागौर (राजस्थान) में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान/समूह–2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021), खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी/अपशिष्ट 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष–एम.टी.पी.ए.), क्रेशर क्षमता 1000 टन प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन क्षमता 10.0 एम.टी.पी.ए., सम्बन्ध मे खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर पर्यावरण स्वीकृति हेतु उपखण्ड अधिकारी, खींवसर, नागौर महोदय **श्री धीरज कुमार सिंह** की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। क्षेत्रिय अधिकारी, ने कहा कि आप लोगों के

पर्यावरण के सम्बन्ध मे जो भी सुझाव, सवाल, आक्षेप आदि हो तो आप मौखिक और लिखित रुप से यहां दे सकते है। प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध मे ईकाई प्रतिनिधि द्वारा विस्तृत रूप से बताया जायेगा।

मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की एक सहायक इकाई) के निदेशक श्री आर. आर. गुप्ता एवं प्रतिनिधि श्री हितेश सुखवाल ने उपस्थित समुदाय को प्रस्तावित चूना पत्थर प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान/समूह–2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021), खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी/अपशिस्ट 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष–एम.टी.पी.ए.), क्रेशर क्षमता 1000 टन प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन क्षमता 10.0 एम.टी.पी.ए. करने के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत परियोजना के बारे मे दृश्यावली (पॉवर पोईट प्रेजेंटेशन) के द्वारा विस्तृत जानकारी दी एवं साथ ही इकाई प्रतिनिधि ने भौगोलिक स्थित के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यकताओं की बात करे तो परियोजना में पानी की आवश्यकता लगभग 305 केएलडी है। जिसका स्त्रोत भूमिगत एवं माईन्स सम्प होगा एवं जिसके लिए सीजीडब्ल्यूए का प्रमाण पत्र दिनांक 13.05.2023 को मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की एक सहायक इकाई) के नाम से जारी किया गया जिसकी वैधता दिनांक 12.05.2025 है। प्रस्तावित परियोजना के लिए विद्युत की बात की जाये तो 5 मेघावाट की आवश्यकता होगी जो कि खींवसर विद्युत स्टेशन (ग्रीड) से ली जायेगी। जन शक्ति की बात की जाये तो 47 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तथा योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। इकाई प्रतिनिधि ने खनन उत्पादन प्रक्रिया, उपलब्ध खनन मात्रा, खनन कार्यदिवस, मौसम, जल, वायु एवं भू पर्यावरण पर सम्भावित प्रभाव एवं समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना की जानकारी भी दी साथ ही उन्होने सम्भावित प्रदूषकों को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के मानकों के अनुसार नियंत्रित करने की कटिबद्वता भी दोहराई। श्री सुखवाल ने बताया कि कम्पनी जल एवं मृदा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पौधारोपण एवं पर्यावरण के विकास आदि पर कार्य किया जायेगा।

इकाई प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी देने के पश्चात् श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा बताया गया कि आपके क्षेत्र में मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की एक सहायक इकाई) इकाई द्वारा

खनन पट्टा जिसका खनन क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर आवन्टित हुआ है। जब भी कोई इकाई पर्यावरणीय स्वीकृति के अन्तर्गत आती है तो कार्य प्रारम्भ करने से पहले इकाई के सम्बन्ध मे पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की जाती है जो कि यह एक विधिक प्रक्रिया है और जनसुनवाई के माध्यम से इकाई द्वारा बताया जाता है कि कौन–कौन कार्य होगें एवं आने वाले वर्षो में कौनसे कार्य होगें जिससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी जाती है और उस सम्बन्ध में आप सभी का कोई विचार/सुझाव/आपत्ति/टिप्पणी है उसको लिया जाता है ताकि जो भी आपकी शंकायें है उनका समाधान उच्च स्तर से किया जा सके। ये पूरी प्रक्रिया इस पर्यावरणी स्वीकृति में की जाती है। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी इकाई के प्रतिनिधि द्वारा दी गई। चूकिं स्थानीय लोग ही इस परियोजना से प्रभावित होगें। इस परियोजना के सम्बन्ध में आपके जो भी मौखिक/लिखित एवं ज्ञापन के रूप में सुझाव/विचार/आपत्ति/टिप्पणी देना चाहें तो एक–एक कर शान्तिपूर्वक दे सकते है।

मेघाराम पुत्र श्री भागीरथ राम गांव बैरावास ने बताया कि उनकी टीपी गांव टाडावास में 1972 से चालू है, पर 2006 में बंद हो गई, नोटिस वगैरा उसके बाद नहीं आया। उन्होंने बताया कि आप कागज देख सकते हैं और इस बारे में उनकी सुनवाई की जावे. क्षेत्रीय अधिकारी ने जब बात और स्पष्ट करने को कहा तो श्री मेघाराम ने बताया की जमीन उनके पिताजी के नाम से थी जो कि भाइयों ने बेच दी लेकिन टीपी आज भी उनके नाम पर हैं. एसडीएम खींवसर ने भूमि आवंटन के बारे में पूछा एवं श्री मेघाराम को बताया कि वे शिकायत लिखित में संबंधित दस्तावेजों जैसे कि पुराना पट्टा, भूमि आवंटन के कागज दे देवे. इसकी जांच तहसीलदार जी से करवा देंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी ने पुन: दोहराया कि आप अपनी कोई भी समस्या लिखित में या बोलकर इस परियोजना के संबंध में आज की इस जनसुनवाई में बता सकते हैं।

सौरव टाडा ने सभा में सभी उपस्थित गणमान्य को धन्यवाद देते हुए कहा कि हंसदीप कंपनी और जे के लक्ष्मी सीमेंट ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि वे यहां कंपनी लगा रहे हैं. इससे बेरोजगारों को यहां अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि वे कंपनी के साथ जुड़े, कंपनी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लांच कर रही है और बहुत सारी चीजों पर विचार विमर्श किया है. कंपनी के मैनेजमेंट ने थोड़ी देर पहले बताया कि जिसमें बहुत सी बातें पर्यावरण के सम्बन्ध मे थी जिसका हमारे जीवन पर प्रभाव के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि पर्यावरण है तो हम

हैं. आज के यहां तमाम पहुंचे हुए अधिकारियों से सुझाव यह है कि हम जब पर्यावरण की बात करते हैं जिसमें स्वच्छता एक प्रमुख बिंदु है. मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा मैं खींवसर तहसील में रहता हूं और मैंने यह देखा है कि हम जब कहीं घूमने निकलते हैं जैसे कि पार्क, मॉल, गली हो, मोहल्ला हो या छोटी मोटी दुकान हो तो हम जब भी सामान खरीदते हैं, कुछ खाते हैं तो पॉलिथीन और रैपर इधर–उधर फेंक देते हैं. मैंने यह चीज नोटिस किया है कि इससे गंदगी बहुत ज्यादा फैलती है. मेरा निवेदन यह है कंपनी से कि वे एक मुहिम चलाएं जिसकी जरिए वे आमजन को पर्यावरण से जागरूक करवाए कि कोई छोटी मोटी शॉप हो, मॉल हो, इंडस्ट्री हो, कस्टमर आता है तो वह कचरा इधर–उधर फेंक देते हैं, यह समझाइश की जाएं कि वे कचरा डस्टबिन में फेंके और दुकानदारों को निर्देश दिए जाएं कि डस्टबिन रखना अनिवार्य है और जो भी कस्टमर आएगा और कूड़ा कचरा करेगा वह इसी डस्टबिन में ही डालना है. इससे पर्यावरण की तरफ जागरूकता आएगी. अगर आपको अच्छा लगे तो आप विचार कीजिए।

गजेंद्र टाडा ग्राम टाडावास ने सभी पधारे हुए व्यक्तियों का अभिनंदन करते हुए यह मांग रखी कि रोजगार के लिए कंपनी सबसे पहले स्थानीय लोगों को ही चुने और गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले. आसपास के गांवों में जहां फैक्ट्री लगे वहां ज्यादा पेड़ पौधे और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए.

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पूछा गया कि जो भी यहां जनसुनवाई में आकर समस्या या कोई सुझाव दिया है, उस विषय में कंपनी प्रतिनिधि का क्या कहना चाहेंगे वह बताया जाए।

मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक श्री आर. आर. गुप्ता द्वारा बताया गया कि माननीय आर. ओ. मैडम, उपखण्ड अधिकारी साहब, तहसीलदार साहब, ग्रामीण, बहन एवं भाइयों, माताओं को सादर प्रणाम आप लोगों को हमने बहुत ही सुनियोजित ढंग से प्रोजेक्ट की स्लाइड दिखाई हैं, कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं आप लोगों ने जो भी सुझाव दिए हैं बड़े ही सुनियोजित ढंग से दिए हैं, शांति पूर्ण ढंग से दिए हैं, हमारा जो इस क्षेत्र में जो अनुभव है, हम इस इंडस्ट्री के सीमेंट उद्योग को 40 साल से चला रहे हैं ऐसे ही सिरोही में और उदयपुर में हमारी सीमेंट इकाई है जो आपकी चिंता है उसके बारे में हम भली भांति अवगत है और आपकी इन समस्याओं का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा, पर्यावरण के बारे में आपकी चिंताएं हैं निश्चित रूप से हमने हाल ही में वृक्षरोपण का यहां प्रयास शुरू कर दिया है और आगे ग्राम पंचायत वालों की सहमति से मिलकर हम इस दिशा में और भी कार्य करेंगे.

यहां एक क्षेत्र में जल की समस्या है उसके बारे में निश्चित रूप से विचार करके उसका निदान करके पंचायत से मिलकर आप लोगों से मिलकर निदान करने का प्रयास जरूर करेंगे

अभी एक भाई ने स्वच्छता पर्यावरण अभियान के बारे में बोला, इसके लिए हमारी संस्था पूरी तरह कार्यरत रहेगी , आप लोगों के साथ मिलकर इसको पूर्णता की ओर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे पर्यावरण का जहां तक सवाल है आजकल जो (सीमेंट)इंडस्ट्री आ रही है, उनका संयंत्र सुनियोजित ढंग से चलता है उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट द्वारा एवं विभिन्न एजेंसी द्वारा की जाती है और हम लोग भी उसके प्रति बहुत सजग रहते हैं और कहां की कि पर्यावरण है तो हम हैं असली जीवन जो है वह पर्यावरण की रक्षा के लिए है हम पर्यावरण का पूरा ध्यान रखेंगे और इसका हम आश्वासन देते हैं।
स्वास्थ्य की जो यहां समस्या है अभी हमने स्वास्थ्य शिविर लगा रखे हैं यह देखा गया हैं कि स्वास्थ्य की देखभाल की यहां कुछ कमी है हमने स्वास्थ्य शिविर लगाए है, हम ग्राम वासियों एवं प्रशासन के सहयोग से इसको सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाएंगे और इस समस्या का जो निदान हैं वो एक–दो दिन में नहीं होता यह निरंतर है इसका प्रयास जरूर करेंगे और सब का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए पूरा प्रयास करते रहेंगे।
किसी ग्रामवासी द्वारा जो पेपर दिए गए हैं हम उसको देखेंगे और एवं प्रशासन के साथ मिलकर उसका निदान जरूर करेंगे एवं जैसा की आप लोगो को यहां स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जाएंगे एवं भविष्य में आप लोगों से यही प्रार्थना है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ मिलकर पंचायत के साथ मिलकर निवारण जरूर करेंगे मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और विनती कर रहा हूं कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए हम आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे प्रणाम धन्यवाद नमस्कार।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कहा गया कि इस परियोजना के संबंध में किसी को कुछ कहना है, और यदि किसी को कुछ भी नहीं कहना है तो हम इस जनसुनवाई को यहां समाप्त करते हैं एवं कहां गया कि किसी को लिखित या मौखिक रूप से कोई सुझाव टिप्पणी बतानी है तो आप यहां आकर बता सकते हैं.
एसडीएम खींवसर ने सभी ग्रामीण वासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि आपके क्षेत्र में यह प्रोजेक्ट लगने जा रहा है इसलिए अंतिम बार आप सभी को अवसर दिया जा रहा है कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, टिप्पणी है, कोई भी सुझाव है तो अभी भी समय है। आप

कुछ कहना चाहते हैं, लिखित मौखिक, ज्ञापन जैसा भी आपको उचित लगे आप दे सकते हैं। यह आपका अधिकार है, आप यहां रह रहे हैं, आपके क्षेत्र में कोई कार्य हो रहा है इसलिए कोई भी सुझाव है, कोई भी समस्या है ,आप रख सकते हैं अन्यथा यह जनसुनवाई हमें यहीं समाप्त करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कहा गया कि हम इस जनसुनवाई को अभी यहीं समाप्त करते हैं इस सम्बन्ध में एक बार फिर से कहा गया कि कोई है क्या यहां बोलने को ?

उग्राराम नायक, ताडावास ने एसडीएम साहब से निवेदन करतेहुए कहा कि पिछले शिविर में हमने ताड़ावास की नायकों की ढाणी में ट्यूबवेल के बारे में बताया था जो कि 3 साल से बंद पड़ी है, इस बारे में जितने भी आपके अधिकारी हैं उनको बताया था जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमारी 1000 गाय यहां बैठती है उनको हम टैंकरों से पानी लाकर पिलाते हैं इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ट्यूबवेल को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए या नया लगाया जाए। हमारी 10 से 15 ढाणियों हैं जिनके साथ लाइट जुड़ी हुई है यहां 4 घंटा 5 घंटा लाइट देते हैं और अधिकारी हमारी कोई सुनवाई नहीं करते वह और वह ट्यूबवेल से जुड़ी हुई है दूसरा हफ्ते में 3 दिन लाइट आती है 3 दिन कट जाती हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं रात में लाइट बगैर पढ़ने में परेशानी होती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी करवाइए।

एसडीएम खींवसर ने इस पर कहा कि आपकी समस्या इस पर्यावरण जनसुनवाई से हटके हैं, यह नॉर्मल जनसुनवाई की चीजें हैं तो इसको भी हम नोट कर रहे हैं और आपकी जो समस्या पानी और बिजली से जुड़ी हुई है को संबंधित अधिकारियों को सूचित करते हुए शीघ्र अति शीघ्र समाधान करवाया जाएगा।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कहा गया कि आपने जो सुझाव दिया है इसको हमने नोट कर लिया है इसके साथ ही हम यह जनसुनवाई समाप्त करते हैं।

एक अन्य ग्रामवासी ने कहा कि ने कहा कि यह जो मीटिंग प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जो मीटिंग रखी है इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं इस मीटिंग के माध्यम से छोटा सा गांव तड़ावास और बैरावास और साइड में जो भी और गांव हैं की ओर से आपने अपनी बात रखने के लिए जो भी समय दिया उसके लिए मैं सभी की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे गांव में जो एक स्कूल है वह प्राइमरी स्कूल है, इसको आप सेकेंडरी स्कूल बनाने का ऐलान करें और दूसरी बात, गांव में पेड़ पौधों और पशुपालकों के लिए आपने यह जो जमीन खरीदी है आप उनको वापस गांव में ही जमीन दिलवाए। गोचर भूमि एवं गायों के लिए जो भी आपने जमीन रखी है, गांव में ही हो ना कि कहीं 100–200 किलोमीटर दूर

क्योंकि गांव की गाय हैं वह तो यही रहेंगी ना कि 100–200 किलोमीटर दूर. अपने जो जमीन ली है चारागाह के लिए गोचर के लिए जो जमीन ली है हमारे गांव में ही वापस दी जाए। रही बात रोजगार की तो मैंने 3–4 कंपनियों में इंट्रोडक्शन दिया है। अगर रोजगार की बात करूं मैं, जेके लक्ष्मी कंपनी है अभी तो कहती है कि मैं आपको रोजगार दूंगी और फिर बाद में यह जो अपना बोलती है कि 160 किलोमीटर दूर के अलावा यहां निजी को हम रोजगार नहीं देंगे तो सर्वप्रथम पहले है कि हमारे गांव में जो कंपनी लगा रहे हैं तो गांव वालों को ही रोजगार दें और रही बात पानी की समस्या की तो इंसान तो पानी कहीं से भी पी लेता है लेकिन यह जो वन्य जीव जंतु है यह कहां से पिएंगे।

हीराराम नायक ग्राम हरिपुरा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हरिपुरा में 10 साल से ट्यूबवेल बंद है और पानी के लिए गाय भैंस से बकरी भेड़ बुरी तरह मर रही है इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हरिपुरा में जब नायक जाते हैं तो वापस ठोक कर वापस निकाल देते हैं

मठ महादेव पुजारी बाबा शैतान पुरी गांव ग्राम निवासी ताड़ावास ने कहा कि मेरे पास मेरे काश्त की जमीन है 70–80 बीघा, उस जमीन में ना तो पत्थर निकाल सकते हैं ना अच्छे से काश्त कर सकते हैं इसलिए आपसे निवेदन है है कि मेरे लिए ट्यूबवेल बनवा दें उसका अच्छे से उपयोग करें और कमाकर खाएं

बलवीर ग्राम ताड़ावास ने निवेदन करते हुए कहा कि हमारे यहां वन्यजीव नीलगाय सभी कृषि के आधार पर हैं हम खेती करते हैं तो हमारे एरिया में उसी के आधार पर वन्यजीव अपना भोजन करते हैं। यदि यह कंपनी आ गई तो उनकी अर्थव्यवस्था एवं हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है इसलिए हमारी और वन्य जीव की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी व्यवस्था से इसका ध्यान रखा जाए। जिस प्रकार वन्य जीव हमारी कृषि पर निर्भर है उसी प्रकार यह भी कंपनी के आने पर उनकी संख्या बढ़नी चाहिए ऐसा ना हो कि इनकी संख्या घट जाए, यह हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा इसलिए वन्यजीवों को बढ़ाने का प्रयास करें।

कंपनी प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि जो सुझाव है उसके प्रति हम जागरूक हैं और आप लोगों के साथ मिलकर प्रशासन के साथ मिलते हैं उन समस्याओं का निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे हम आपको विश्वास देते हैं समय दीजिए कि सब अच्छा ही होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा फिर से लोगों को आग्रह किया गया कि वह कोई अपनी समस्याएं हैं जो कि देना चाहते हैं वह यहां दे सकते हैं और पुनः निवेदन किया गया कि आप ग्राम वासियों को दोबारा बोलने का मौका दिया जा रहे हैं आप अपनी बात रख सकते हैं।

इसके बाद कुछ ग्रामवासियों का समूह एमएलए श्री नारायण बेनीवाल के साथ "हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते" का नारा लगाते हुए लगाते हुए जनसुनवाई में आए.

एसडीएम खींवसर ने सभी ग्राम वासियों से निवेदन करते हुए कहा कि आप लोगों के लिए कुर्सियां लगी हुई है कृपया आप नीचे ना बैठे। शांति का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि यह जनसुनवाई आप ही के लिए है तंत्र है, लोकतंत्र में सब का अधिकार होता है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी कार्य प्रारंभ होने वाला है उसके बारे में कोई भी अगर आपकी टिप्पणी हो, कोई भी विचार हो, कोई भी सुझाव या आपत्ति हो, किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप सभी लिखित में या मौखिक रूप से या ज्ञापन से आज ऐसे जनसुनवाई में अपना पक्ष रख सकते हैं। हम एक माध्यम है कि आप की जितनी भी शंकाएं हैं, उसको समाधान के लिए ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएं। आप शांति पूर्वक एक-एक करके अपनी आपत्ति को दर्ज करवाएं। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। आपकी सभी आपत्तियों को नाम वाइज एक-एक करके नोट किया जाएगा और इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भेजा जाएगा।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा कहां गया की कंपनी प्रतिनिधि से अनुरोध है कि एक बार संक्षेप में जो भी कार्य आपकी परियोजना में किए जाएंगे और आपके द्वारा आने वाले वर्षों में जनहित कार्य किए जाएंगे ताकि लोगों में इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो सके।

कंपनी प्रतिनिधि द्वारा एमएलए खींवसर का हार्दिक अभिनंदन किया गया एवं कहा गया कि सभी पीठासीन अधिकारियों को भी मेरा नमन ग्राम वासियों को प्रणाम जो भी समस्या है उनका अवलोकन किया गया हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका निवारण किया जाएगा. कंपनी प्रतिनिधि द्वारा बताया कि 2 मिलियन टन की प्रोडक्शन रहेगी और यह जनसुनवाई जो है वह माइनिंग के लिए है एवं इसमें कार्य गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ ही किया जाता है एवं माइनिंग में प्रदूषण का बहुत ही निम्न स्तर रहता है एवं जल का भी बहुत कम प्रयोग होता है.

क्षेत्रीय क्षेत्रीय अधिकारी ने अनुरोध किया कि कंपनी प्रतिनिधि एक बार पुनः संक्षेप में पावरप्वाइंट स्लाइड्स के द्वारा परियोजनाओं के मुख्य बिंदु को जनसुनवाई में रखें।

क्षेत्रीय अधिकारी के निर्देश पर कंपनी प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से बताया गया जिसमें स्थानीय गांव परियोजना की उत्खनन क्षमता एवं इसकी विज्ञप्ति के बारे में बताया गया।

जनसुनवाई के मध्य गांव के दल द्वारा जोर–शोर से उग्र प्रदर्शन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी के द्वारा आग्रह किया गया कि वह शांति बनाए रखें एवं यहां जो भी आए हैं उन सब की बातें सुनी जाएंगी उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी की बातें एक–एक कर सुनी जाएंगी,आप जो कहेंगे उसे ही नोट किया जाएगा पर आपका इस तरीके से ग्रुप में उग्र प्रदर्शन करना उचित नहीं है। अगर आप शाम के 8:00 बजे तक भी अपनी समस्याएं हमें बताएंगे तो हम यहां बैठेंगे एक–एक करके सभी लोग माइक पर आएंगे और और अपना नाम और पता बताकर अपनी समस्याएं आप रख सकते हैं।

अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्ष, तहसील खींवसर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारी सभा की इकाइयां टाडावास, भावंडा एवं बेरावास, बेराथल में भी हैं। हम किसानों की समस्याओं को उठाते रहते हैं और हमारा यह हमारे संगठन का यह मानना है और यह किसानों की तरफ से है कि की सबसे पहले जो जनमानस बैठा हुआ है इनकी एक कमेटी बने और उस कमेटी में जो निर्णय हो उसकी आप कंपनी से पालना करवाएं। जो यहां से संघर्ष समिति बनेगी उसके अंदर जो निर्णय होंगे, जो बिंदुओं पर चर्चा होगी जैसे कि यहां बहुत बड़ा तालाब का क्षेत्र भी है , ट्यूबलो का क्षेत्र भी है, वृक्षों का क्षेत्र भी है और वन विभाग का क्षेत्र भी है, और इतने सालों से पीढ़ियां से जुड़ा हुआ जमीन का किसान जिस जमीन में यहां कई पीढ़ियां खप गई उसको आप ₹8 लाख कौड़ियों के दाम में जमीन लेने का प्रयास कर रहे हो , इस चीज को यहां का किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे एमएलए साहब बैठे हैं जो हमेशा किसानों की बात मजबूती से रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं जो हमने एसडीएम साहब के यहां विरोध दर्ज किया है यहां.... हम कोई कंपनी के पक्ष में नारे लगाने के लिए नहीं आए हैं। गुपचुप तरीके से कंपनी कहीं से 20 बीघा जमीन ले रही है, कहीं से 10 बीघा रही है, कहीं से 5 बीघा ले रही है और भोले–भाले किसानों को उनके एजेंट यहां घूम रहे हैं उनको उनको गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हें दूसरी सभी जगह जमीन दे देंगे।इस तरीके का खेल चल रहा है, यह कंपनी का कायदा था कि, एसडीएम साहब आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कंपनी को यह प्रोग्राम पहले करना चाहिए था। इतनी रजिस्ट्री होने के बाद में यह इस तरीके की औपचारिकता पूरी कर रही है। साथियों आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपको लग रहा होगा कि ₹800000, यह ₹800000 इस जमीन की

कोई कीमत नहीं है यह कीमत कुड़ियों से भी कम कीमत है। आप उस जमीन को दे रहे हैं जिसमें हमारे पूर्वजों का, हमारी रग–रग में इस जमीन का अंश है, इससे हमारा भावनात्मक एवं पारिवारिक लगाव है। आप को मजबूती के साथ चाहे सरकार कोई भी हो और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कि हमारी जहां पर भी जरूरत पडेगी, आप साथियों भेदभाव भी मत करना, कोई पार्टी का है, हमारे पक्ष में आए, उनका स्वागत है। आज हमारे बीच में एमएलए साहब आए हुए हैं हम उन का तहे दिल से स्वागत करते हैं, दूसरे लोगों को भी आना चाहिए था वोटों के टाइम जो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, उनको अभी भी आना चाहिए था। मैं समझता हूं कि आज आप जमीन दे रहे हैं मेरी जमीन तो 1 इंच भी नहीं जा रही है लेकिन आने वाले समय में जरूर वो जमीन..... जिसकी जमीन जाती है उसको पता है दर्द उसे महसूस होता है मेरा एक ही कहना है आप लोगों को कि आप सब लोग बैठ कर एक संघर्ष समिति बनाओ और उसके जो निर्णय होंगे उसकी आप कंपनी से पालना करवाइए और अगर 8 लाख में देने को तैयार है तो भी दे देंगे और अगर यह कहेंगे 25 लाख 30 लाख से हम कम नहीं देंगे तो यह जो इनकी भावना होगी या नहीं देना चाहेंगे उसमें भी हम आपके साथ रहेंगे।

अनुराम गढ़िया पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत डेरु ने बताया कि मैं सबसे पहले हमारे एमएलए साहब श्री नारायण बेनीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमेशा जनता के सामने पेश होते हैं। पहली बात तो यह कि विरोध करना आपका भी उचित है लेकिन कंपनी को शुरूआत में यहां टेंट लगाकर पहले सर्वे करवाकर बाद में यहां उतरना चाहिए था. छोटी–छोटी रजिस्ट्री करवा कर के यह काम गलत कर रहे हो. विरोध कंपनी खुद करवा रही है, किसान नहीं कर रहे हैं. पहली मांग किसान की यह है कि चारों गांव की गोचर की जो जमीन है, वह आस–पास में ही रहे, गांव से बाहर ना जाए। बेरावास की गाय कालू चढ़ी नहीं जाएगी। नंबर दो, किसान अपनी पूरी जिंदगी में... अब सरकार ने बना दिया मकान चाहे कहीं पर भी बना दिया, सभी के मकानों का पैसा भी कंपनी देगी और कमेटी घोषित होते ही हमारी कमेटी में एमएलए साथ में रहेंगे और जो कमेटी में निर्णय होगा उसी रेट से किसानों को पैसा मिलेगा। नंबर 3, जिनकी रजिस्ट्री हो गई, कंपनी यह भी मत सोचना कि उनकी तो रजिस्ट्री हो गई उनको आगे के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यह हमारा सुझाव है।

सचिव अखिल भारतीय किसान सभा तहसील खींवसर ने कहा कि यह जो जमीन का लेनदेन चल रहा है जो कि कई दिनों से चल रहा है, जो कोई भी देगा वह किसी को नहीं पूछेगा

क्यों क्योंकि उसकी पीड़ा है वह देगा, किसी की बस की रोक नहीं है। लेकिन मैं कह दूंगा 800000 में मत दो, तो वह आगे जाकर के यह कहेगा कि हमारी जमीन बिक रही है, हमें पैसे की जरूरत है और यह हमें देने नहीं दे रहा है। उन्होंने जो सोच रखा है वह वही करेंगे। मेरा यही कहना हमारे गोचर भूमि के बारे में कि वह गुपचुप करके जमीन ले रहे हैं। मुझे भी मिला था खींवसर के अंदर, मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो ? उन्होंने कहा कि हम वहां जमीन खरीद रहे हैं। एक दिन हमारी गुप्ता जी से बात हुई, यहां आए थे तहसीलदार जी भी थे, हम स्टैंड पर थे और उन्होंने बात की तो हमने भी ने भी बताई कि सर आज आप जमीन दूसरी जगह ले रहे हो हम वहां नहीं जाएंगे किसी हालत में ही रहेंगे हमारी जमीन हमें यही चाहिए हमारे किसानों को उन्होंने कहा यहां तो जमीन है नहीं। क्यों नहीं है जमीन ? मैंने कहा कि यहां तड़ावास तालाब हनुमान जी का मंदिर के बीच में आप ले रहे हो तो वह रख दो तो उन्होंने कहा वहां तो हमारा प्लांट लगेगा। दूर प्लांट लगाएंगे तो माल का खर्चा ज्यादा आएगा। तो हमने कहा तो हम कैसे सहन करेंगे हम वहां नहीं जाएंगे।. उसके बाद में इन्होंने एक बात और रखी कि सारी जनता तो यह बात जानती नहीं है और मैं आपको एक बात बताता हूं ,और मैंने कहा बताओ, तो इन्होंने कहा यह नक्शा देखो और इधर से लाइन लेकर के यह सारी जमीन गवर्नमेंट के कब्जे में है मेरी कंपनी के अलावा यहां कोई भी जमीन लेना चाहता है तो 1 बीघा की भी रजिस्ट्री नहीं होगी, हमारा म्यूटेशन खारिज हो जाएगा। जमीन सरकार के कब्जे में है और इस जमीन से आप सरकार का कब्जा छुड़वाना चाहते हैं तो तो मैं जमीन लेने के लिए तैयार हूं चाहे आप किसी भी हिसाब से दोगे तो हम बैठकर करेंगे। फिर हमने सोचा कि यह तो ऊपर का मामला है कोई बात करेंगे एमएलए साहब से करेंगे एमपी साहब से करेंगे कोई ऊपर मंत्री से करेंगे अगर यह होगा तो देखा जाएगा उसके बाद में उन्होंने कहा जो भी होगा बैठकर करेंगे मैंने कहा क्या करेंगे उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा होगी वह करेंगे। तो मैंने कहा कि हम तीनों चारों गांव के ग्रामवासी बैठकर और जो भी हमारा निर्णय होगा वह करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 3 बार मीटिंग है कर ली। साहब आपने मीटिंग में करी है तो 5 – 10 लोगों के बीच में गुपचुप कर ली होगी । सरपंच साहब और आप हमारी ग्राम पंचायत में ईमानदारी से आप बुलावा देते तो हम आते फिर बैठ कर के इस विषय पर कुछ निर्णय करते, आपने मीटिंग है गुपचुप में कर ली 10–20 लोग आ गए और नाम कर लिया और अखबार में भेज दिया हमने आज मीटिंग करने की। यह कोई मीटिंग थोडी ना होती है। हम तो एक ही बात कहते हैं साहब आपको। पहली बात तो. हमारी गोचर के लिए जो लाइन आपकी निकली हुई है कहीं पर भी जमीन लेने तो चार हैं जो रेट होगी वह पार्टी जाने और तुम जानो हम वहां नहीं जाएंगे

40 किलोमीटर दूर आप हमारे ग्राम वासियों को इमानदारी से जो कमेटी बनेगी और जो कमेटी निर्णय लेगी हम किसी को नहीं रखेंगे हमारे किसानों के अलावा उस कमेटी में जो कमेटी निर्णय लेगी कि यही होगा तो उसी हिसाब से ही होगा, और दूसरी बात, हमने पीड़ा बताइए हमारी पीड़ा है कि हमारे पैसों की जरूरत और हमें जमीन बेचनी है तो वो तो बेचनी है कौन देगा पैसे हमारे को कोई नहीं देगा यह बात है कमेटी भी यह सोचेगी कि किसान के इतना पैसा आ गए तो ठीक है। एसडीएम साहब से हम आशा करते हैं हिसाब आप आईएएस अधिकारी हम आशा करते हैं कि आप हमारा कुछ भला करके जाएंगे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस बात को नोटिस में रखें।

एक ग्रामवासी द्वारा कहा गया कि आप से पूछना चाहता हूं कि जमीन कंपनी को लेनी है, देने वाला किसान है तो यह बीच में दलाल कौन होते हैं ? मुझे पता नहीं है एजेंट क्या होता है जमीन देवें किसान लेवे कंपनी यह एजेंट कौन है ? कमीशन की वजह से किसान क्यों घाटे में रहे ? बात करनी है तो कुछ वाजिब करो, हमारे मामला बैठेगा नहीं.

ओम प्रकाश ताड़ा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, बेरावास ने कहा कि मीटिंग रखी है पोलूशन की पोलूशन का मतलब होता है प्रदूषण। यह बोल रहे हैं कि उन्होंने एक किताब छपाई है, कंपनी की उसमें लिखा है कि यहां तो आंकड़े होते हैं, आंकड़े होते हैं ना मारवाड़ी में जो कि सबसे गंदा वृक्ष होता है। उनको पता नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाई दवाई है। एक इंग्लिश में किताब छपाई जो कि किसान पढ़ना ही नहीं जानते हैं। उन्होंने आज तक नहीं बताया कि इस किताब में क्या लिखा है। दूसरी बात, यहां के जो भी पानी के स्रोत हैं उनको तो यह कह रहे हैं यहां तो 10 बीघा ही अंगौर है नाड़ी के तो, अरे 1000 बीघा का पानी आ रहा है अंगौर 10 बीघा ही कैसे हैं ? जो केचमेंट एरिया है पूरा हमारा वह पूरा हमारा दिखाना चाहिए , आबादी से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। तीसरी बात है, कोई कोई बोल रहा है हमें रेट ज्यादा दो। हमें रेट से कोई मतलब नहीं है, हमें पोलूशन से मतलब है, यह कह रहे हैं यहां पशु तो 1000 हैं आप गिनती करो यहां 10000 पशु हैं। सर्वे करवा लो वापस। सब झूठ बोल रहे हैं। कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं , प्रशासनिक अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, पटवारी रिपोर्ट दे रहे हैं यहां तो हजार पशु है , एक पशु के लिए आधा बीघा आती है तो 500 बीघा गोचर है। कर दो वहां। किसी को बोलते हैं हम गोचर के लिए रहे हैं। अब गोचर का नाम तो कहीं लिखा नहीं है ना। उसकी फर्म के नाम रजिस्ट्री करवा रहे हैं। यहां कोई गोचर करने वाला नहीं है फैक्ट्री लगेंगे। अब रही बात दूसरी, कोई बोल रहा है कि गोचर

हमारी गांव में मिलनी चाहिए। गांव में क्यों मिलनी चाहिए हमारी जो भूमि गोचर की है वही रहनी चाहिए। खैर में जो गोचर है वह रही है, कैसे रही ? अंबुजा का प्लांट इससे बड़ा है, यहां तो एक इकाई है , वहां 5 वहां 5 इकाइयां हैं। वहां कैसे रहा क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर था, उनके पास नेता ज्यादा थे, लोग ज्यादा थे। हमारे यहां लोग कम है, नेता कम है इसलिए उनको मिल गई और हमें नहीं मिल रही। बात कंपनी की मीटिंग की, आज पोलूशन के लिए हमें क्यों बुलाया है ? ,हमें तो पहले बुलाना चाहिए था। कहीं कलर करवाते हैं , जेके लक्ष्मी सीमेंट लगा देते हैं, कई कहते हैं आपको बस स्टैंड बनवा देते हैं, 10 दिन बनाएंगे काम होने के बाद में गेट आउट। खींवसर सरपंच को बोलते हैं हमें 30 आदमी चाहिए, हमारे पास आ जाओ , एजेंट को बोलते हैं तुम हमारे पास आ जाओ 4:00 पर्सेंट कमीशन देंगे, किस बात का कमीशन दे रहे हैं ? आपको जमीन टाडावास में लेनी है टाडावास में फैक्ट्री लगानी है। हॉस्पिटल खोल दिया , किसी यूनानी को लाकर बिठा दिया कोई मर गया तो इसका हर्जाना कौन भरेगा ? मेडिकल की जो जेनेरिक दवाइयां आती हैं वह ₹2 में एक पत्ता आता है। किसान को दे देते हैं किसान राजी हो जाता है ₹100 का पत्ता दे दिया। कोई मतलब नहीं है। हमारी सबसे पहली मांगे की गोचर जहां है वहीं रहनी चाहिए , जो भी केचमेंट एरिया है तालाब का नाड़ी का हमारे गांव में 5 नाड़ी हैं वह बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, आबादी क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। यहां किसानों की भट्टे लगे हुए एक हजार यूनिट लगी हुई है उन में कम से कम 10000 आदमी काम करते हैं, वह बेरोजगार होंगे उनको नौकरी कौन देगा ? यह कंपनी वाले मनमर्जी करेंगे। उद्योग हमारे बंद हो जाएंगे। इनको कोई मतलब ही नहीं है हमसे। ऊपर से करवा लिया यह तो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड में तो घटिया पत्थर काम आता है लेकिन यहां इन्होंने चेंज करवा दिया इनके आदमी ऊपर बैठे हैं उन्होंने बोल दिया कि नहीं , किसानों को भ्रमित किया गया कि हम आपको छोटी लीज देंगे हमें वोट दो , हमने वोट दे दिए , नेता लोग बैठ गए कोई पैरवी नहीं करी। अगर नेता लोग हमारी पैरवी करते विधानसभा में , लोकसभा में, तो आज हमारी यह हालत नहीं होती।उन्होंने तो कह दिया यस इनको कर दो किसी एमएलए को कह दिया कितने चाहिए , 5 करोड़, ले जाओ। एमपी कितने चाहिए, 20 करोड़ ले जाओ, किसी मंत्री को कितनी चाहिए, 100 करोड़। सबको दे दिए। कैसे कर दी रजिस्ट्री ? मौके पर तो तहसीलदार जाते ही नहीं है , म्यूटेशन कर दिया कैसे कर दिया म्यूटेशन ? वहां गढ्डे खुदे हुए हैं। खड्डे में तो म्यूटेशन होता ही नहीं। हमारा तो कोई करता नहीं है हमारा तो कोई मालिक नहीं है। आपसे अनुरोध है कि इन सब की जांच करवाएं कंपनी पड़ती है अपने मनमर्जी से करेगी अभी हमें लॉलीपॉप दे देगी , कुर्सियां दे देगी, नाश्ता करा देगी,

चाय पिला देगी, उसके बाद में हमें कोई नहीं पूछेगा। अपना काम करेंगे , कंपनी के एजेंट हैं मजे करेंगे, स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमेंगे। हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे बच्चे कहीं मजदूरी करेंगे , उन बच्चों का क्या होगा ? आप से विशेष अनुरोध है कि हमारी गोचर यही रहनी चाहिए, दूसरी जगह नहीं जानी चाहिए। पशुओं की गिनती वापस होनी चाहिए। रही बात वृक्षों की, यह कह रहे हैं कि पोलूशन होगा कि नहीं कैसे नहीं होगा यहां तो वृक्ष ही नहीं है कह रहे हैं, आकड़े होते हैं। कंपनी वालों को पता ही नहीं है कि यहां कम से कम 20000 खेजड़ी हैं, 30,000 नीम के पेड़ है, 50,000 हमने दूसरे पेड़ लगाएं हैं। यह तो बोल रहे हैं कि यहां 15 किलोमीटर में कोई वन विभाग ही नहीं है। किसने कहा वन विभाग नहीं है टाडावास में वन विभाग, बैरावास में वन विभाग है. वह सरकार को रिकमेंट कर देंगे कि आप की जमीन ग्रीन के लिए ले लेते हैं, वहां दे देंगे, यह वन विभाग हमें दे दो। हमने पौधे लगाए हैं, हमने मेहनत की है और अब कंपनी वालों को दे दे ? आपसे अनुरोध है कि कंपनी वालों को बोले, कल बम लेकर आए और टाडावास और बैरावास में गिरा दे। सब मर जाएंगे फिर आप राज करना।

अनीश राम गोदारा पूर्व पंचायत समिति सदस्य बेरावास कहां की ने कहा कि हमारी तीनों चारों गांव के लोगों की यह सोच है कि यहां कंपनी लगनी ही नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों की जमीन है, हम नहीं देना चाहते है।

एमएलए खींवसर श्री नारायण बेनीवाल ने कहा कि आज की इस पर्यावरण कमेटी की मीटिंग हुए आए हुए समस्त अधिकारीगण मेरे सामने विराजमान बैरावास टाडावास भावंडा खोडवा और आसपास के इलाके के मौजूद ग्रामीण जन मातृशक्ति मैं सबसे पहले तो यहां के स्थानीय निवासियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोग कम से कम संघर्ष करना तो सीख गए। लेकिन एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है जब तक हम सच सुनना और सच बोलने का मादा पैदा नहीं करेंगे तब तक मात्र तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। जैसे हमारे पूर्व सरपंच साहब बड़े जोर जोर से बोल रहे थे की विधायक कितने पैसे ले लेता है एमपी पैसे ले लेता है और हमने जिन को वोट दिए, अपने दिल पर हाथ रख कर कहो इनको वोट दिया है क्या वह आए क्या ? आपने जिन को वोट दिए आप का नैतिक कर्तव्य था कि आप उनको भी बुलाते इसलिए ऐसी कोई अनावश्यक बात यहां नहीं करें क्योंकि कंपनी की हमेशा पॉलिसी होती है कि हमें आपस में लड़ा कर और अपना उल्लू सीधा करें. यह तो खींवसर की जनता का परम सौभाग्य है कि आपको ऐसा एमएलए और एमपी मिला है इस प्रदेश के अंदर जिन्होंने आज तक अपने खून पसीने की कमाई से आपकी

जनसेवा किए की है। पहला हमारा प्रयास है यही है यहां के किसानों को जैसा आप चाहो, आप में से कितने वक्ताओं ने कहा है कि फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, हम भी कहते हैं फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। मुझे सबसे पहले याद है जब टाडावास गांव के लोग मुझे मुझे मिले थे इस मामले को लेकर हम और आपको यह भी बता दो हम दो भाई हैं कहां आपके जनप्रतिनिधि वह आए तो नहीं आप बताओ मुझे आपके मौजूदा सरपंच से लेकर प्रधानों से लेकर कहां चले गए सब लोग विधायक ही क्यों आया। इस बात को आप सोचो आज पार्टी पॉलिटिक्स की बात करें उचित नहीं है लेकिन अब अंधेरे और उजाले में आपको फर्क महसूस करना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो आपके लिए लड़ रहे हैं अंबुजा की बात हुई अंबुजा कि जब पर्यावरण की मीटिंग थी मैं वहां गया और मैंने जो वहां देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जोर–जोर से मंच पर जो नेता बोल रहे थे उनमें से अंबुजा वालों ने किसी की तो JCB लगा दी, किसी की ट्रक लगा दी , किसी को छोटा मोटा Oblige कर दिया। हम दो ही भाई ऐसे हैं जो इन उद्योगपतियों से लड़ रही है आपकी यह आपकी खुशकिस्मती है यही पॉलिसी जो यहां यूनिट लगा रहे हैं वह लोग अडॉप्ट करेंगे। मैं आग्रह करूंगा जो नौजवान साथी खड़े हैं क्योंकि आज का युग आर्थिक युग है और आर्थिक युग में सबसे बहने वाला जो व्यक्ति है वह है आज का युवा। मैंने आते ही यहां नजरें घुमाई हैं और कई युवाओं से मेरी नजरें मिलाते ही उन्होंने नजरें झुका ही हैं मुझे पता है कि फैक्ट्री के लोगों ने उन्हें कहीं ना कहीं छोटा–मोटा Oblige किया है, किसी को कह देंगे कि तेरी गाड़ी लगा लेंगे, किसी को कह देंगे कि तू रंग रोगन पोत दे तुझे पैसा दे देंगे किसी को कह देंगे कि तू वृक्षारोपण कर ले कर ले यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह भारत में कोई 1 दिन में थोड़ी आई व्यापार करने आई थी और यहां की गुलामी मानसिकता उन्होंने देखी जैसा की जैसा कि मुझे कई वक्ताओं की बातों में लगा आपके मन में कि आपके मन में कहीं ना कहीं एमपी और एमएलए को लेकर दर्द है तो भाई एमएलए एमएलए एमपी तो हम ही रहेंगे तुम्हारा कितना ही दर्द हो लेकिन दर्द का जो प्लेटफार्म है वह यह नहीं है तुम्हारा दर्द है तो इस पंडाल से बाहर कहीं जाहिर करना हम हो सकते हैं आप को संतुष्ट करने का प्रयास करें हम तो इमानदारी से तेजाजी महाराज के वंशज हैं और हम ईमानदारी से यह कोशिश करेंगे कि इस फैक्ट्री के मालिक अरबों करोड़ों देकर भी इन दोनों भाइयों को नहीं खरीद सकते इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं यहां जो बैठे हैं जिन्होंने यह रिपोर्ट बनाई आपको सबसे पहले तो मैं इस चीज के लिए कहूंगा यह रिपोर्ट आपने इंग्लिश में बड़ी लंबी चौड़ी आपने बना ली इंग्लिश में इंग्लिश के साथ में हिंदी का भी जो वर्जन हो वह कम से कम आपको जनप्रतिनिधि को तो देना चाहिए था यहां एमएलए कौन है, एमपी कौन है सरपंच कौन है,

पंचायत समिति का डायरेक्टर कौन है प्रधान कौन है आप यह पर्यावरण लेकर आप क्या आप यह फैक्ट्री रात को ही लगा लोगे अभी मैंने बात करी कि 12:00 बजे तक कोई आया नहीं तो जनसुनवाई खत्म कर देंगे ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई यहां हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा अधिकार है आपसे सबसे पहले मेरी गुजारिश ही रहेगी की फैक्ट्री को जब भी लगाओ तब लगाओ लेकिन गांव के नाम तो आप कम से कम खराब मत करो आपने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा आपने ताड़ावास को ताड़वास कर दिया, खोरवा को खोरावा कर दिया, भावंडा को भवांडा कर दिया और बैरावास को बेरावस कर दिया। और दूसरा, यहां जो पूर्व वक्ताओं ने बातें कहीं मैं तो एक ही बात आपको कह रहा हूं कि पहली बात यह कह रहा हूं जमीन मत बेचो, जमीन आपकी है, पूर्वजों की है। हमने देखा कि जब हम नागौर में आकर बसे तो कुछ गांव के लोगों ने , जहां मैं रह रहा हूं वहां का अनुभव बता रहा हूं, वहां अपने खेतों की कॉलोनियां काट के 25000– 25000 प्लॉट बेच दिए। आज वही प्लॉट हम 25 लाख में खरीद रहे हैं और कोई लंबा–चौड़ा समय भी नहीं हुआ इसलिए मैं तो कह रहा हूं आपको मत बेचो। किसान परिवार के लोग हम और हमारी जेनेटिक्स ऐसी हैं एक तरफा बात हम कर ही नहीं सकते इकट्ठे होकर। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनको जमीन की बेचने की जरूरत होगी, वह तो बेचेंगे बिल्कुल बेचेंगे। इसके लिए मना थोड़ी ना कर सकते हैं लेकिन सब गांव वाले इकट्ठे हो जो भी भाव होगा एक तरीका का भाव होगा और आप यहां कह रहे हो कि ₹8 लाख में जमीन ले रहे हैं। यह जमीन कहां से ले रहे हैं, आप और हम से ही तो ले रहे हैं। आप सबसे पहले कसम खाओ कि हम बिल्कुल एक कमेटी बनाकर गांव की और जो भी फैसला होगा जमीन का, आपका नहीं देने का तो नहीं देने का , और देने का हो आपको तो आपको उचित पैसा उसके अंदर मिले। इसके अलावा इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें लिखा है कि स्वीकृत खदान योजना के अनुसार इसमें इस परियोजना के लिए कुल 47 लोगों की आवश्यकता होगी। अब यह कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, आप 47 लोगों को रोजगार दोगे ? कितने किसानों की जमीन आप अधिग्रहण करोगे यह पूरी डिटेल एक बार आपके पास होनी चाहिए। और कम से कम इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप यह लिखते हैं हम जिन जिन किसानों की जमीन लेंगे, जैसे सरकार सौर ऊर्जा में योजना लेकर आई थी कि जिसकी जमीन हम एक्वायर करेंगे उस परिवार में अगर किसी के पास कौशल विकास की कोई डिग्री हो, कोई आईटीआई हो या, कोई इंजीनियर हो तो हम कम से कम उस व्यक्ति को वही रोजगार देंगे, अगर आप लिखते की इस परियोजना से इतने किसान प्रभावित हैं और इस किसान के हर बेटे को जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं उसको हम रोजगार देंगे तब तो बात होती कि आप जनता के कल्याण के लिए बात कर

रहे हैं। आपने यह सब लिखा है कि देश को विकास की ओर ले जाएंगे, जब आप आम व्यक्ति को पिछड़ा दोगे तो देश विकास कैसे करेगा? क्या दिल्ली और जयपुर में बैठे बड़े लोगों का ही विकास करना आपका काम है ? जो धरातल पर बैठे हैं , जिस किसान की जमीन आप ले रहे हो उसके विकास की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उनके विकास की कहीं कोई बात नहीं है। दूसरा, आपने लिखा है कि 305 केएलडी जल की आवश्यकता होगी , हमने NOC ले ली है। अगर आज आप किसी भी गांव में ट्यूबवेल भी खोदते हैं तो जो फिजिकलिटी रिपोर्ट विभाग की आती है तो विभाग कहता है कि नया ट्यूबवेल खोदो ही मत, पानी ही नहीं है। तो आपको कहां से मिल गई 305 केएलडी की जल की एनओसी ?आप अपनी रिपोर्ट में डिटेल में लिखें कि आप पानी की उपलब्धता कहां से करेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे की जनता को प्यासा रखें और आप सीमेंट बनाएंगे। जब आदमी मर जाएगा तो किसके लिए सीमेंट बनाओगे। यह योजना अपने ढंग से नहीं बनाई और आपने इसमें लिख दिया, कितना बड़ा सफेद झूठ इस देश में चलते हैं, आपने इको सेंसेटिव जोन में लिख दिया कि नो फॉरेस्ट लैंड इज इन्वोल्वड इन माइनिंग लीज एरिया (No forest land is involved in mining lease area)- कितना बड़ा झूठा बोल गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में SDM और तहसीलदार साहब आप भी बैठे हैं, जमीन के असली मालिक आप है सरकार की तरफ से, जो फॉरेस्ट को एलोकेट करी वह जमीन माइनिंग लीज के अंदर है। आपका मकसद ही हो कि मिलकर जनता को बावला बनाएंगे तो फिर ऐसी पर्यावरण जनसुनवाई रखने का औचित्य नहीं रह जाता। आप कर लो फिर सेटिंग कहीं ना कहीं , कुछ लोग मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगी पर्यावरण आपत्ति, ले लो पर्यावरण आपत्ति , हमारा क्यों टाइम खराब कर रहे हो। देखिए आप उद्योग बड़ा लगाना चाहते हो तो सबसे पहले यहां पर आपको लोगों का दिल और विश्वास आप को जीतना पड़ेगा. आज यदि हम बिहार या छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो नक्सलाइट्स वगैरह वहां आए हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि लोगों की जमीन औने पौने दाम में बड़े उद्योगपतियों ने छीन ली, उनको आपने जमीन से निकाल दिया ,वह सड़क पर घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंसा भी होगी. प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं, आप भी इसमें बड़ा पॉजिटिवली रुख अपनाकर और जो भी रिपोर्ट आप ऊपर भेजो तो आप सोचो कि किसान की अगर जमीन ही चली जाएगी, उसके परिवार में किसी को नौकरी भी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। आप आज एक बात और सोच लेना कि खोरवा, भावंडा और बैरावास यह जो जमीन आ रही है, ₹7–8 लाख में आप तो ले लोगे, लेकिन ₹7–8 लाख में हम आपको जमीन नहीं देंगे। आस–पास के गांव वाले

Dunita

यह ध्यान रखना। आप सोच रहे हो ना कि 8 लाख में खरीद कर हम सिनोद और आसपास के गांव में 2–2 लाख में जमीन ले लेंगे, हम भी नहीं देंगे, हम भी आपसे आईडेंटिकार्ड मांगेंगे कि आप जमीन बेचकर किसानों के साथ धोखा करके तो नहीं आए हो, उन लोगों में तो नहीं हो आप इसलिए इसका ध्यान रखना। किसान बहुत बहुत भोला होता है, वह घर में बैठकर घर में बैठकर कैलकुलेशन करता रहता है कि 8 लाख में यहां बेच दूंगा और 2 लाख की वहां ले लूंगा, मैं इतना बड़ा किसान बन जाऊंगा तो आप ध्यान रखना कि आपको ऐसे कोई जमीन नहीं देगा। इसका सबसे बड़ा कारण है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे अलग–अलग देवता हैं किसी को कोई अच्छा लगता है किसी को कोई. अपने को आप एक ही चीज का ध्यान रखना एक ईमानदारी से इस मुद्दे के अंदर राजनीति नहीं करेंगे आपको यहां सौगंध खाकर जानी है चाहे किसी भी संगठन के लोग हैं कि जो जमीन का मामला है जो कि हंस ट्रेडिंग वाले जेके लक्ष्मी वाले ले रहे हैं इस मुद्दे में कोई राजनीति नहीं करेंगे. हमारा एक ही मकसद है कि यहां के लोगों को न्याय कैसे मिले. तभी हम इस आंदोलन में सफल होंगे। अपन किसान परिवार के भोले लोग हैं बहकावे में जल्दी आते हैं। अपना कोई स्वार्थ नहीं है इस मामले में, अपन सब एक हैं और जब तक यहां के किसानों को न्याय नहीं मिल जाता और मैं तो कहता हूं कि यहां के किसान जमीन बेचो मत और बेचो तो कम से कम उचित मूल्य पर बेचो यह विश्वास दिलाता हूं कि हम दो भाई एमपी और एमएलए पहले भी आपके साथ थे और अंत तक आपके साथ रहेंगे। कि यह जो जनसुनवाई है इसमें जिन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उनके खिलाफ सारी नेगेटिव चीजें लिखी जाए. 1 महीने पहले सूचना दें कर यह मीटिंग पुनः आयोजित करवाई जाए। ऐसी रिपोर्ट आप भेजेंगे तो लगेगा कि इस प्रक्रिया में फायदा हुआ, किसानों की आवाज सुनी गई, किसानों का रोष सरकार तक पहुंचा। आप तो लिख कर भेज देंगे कि शांति पूर्वक जनसुनवाई आयोजित हुई, मुझे पता है कि अखबारों में भी यह खबर कोई बहुत बड़ी नहीं छपेगी। मेरा मीडिया के लोगों से भी यही निवेदन है कि ईमानदारी से किसानों का पक्ष रखा जाए। बड़े उद्योग लगाने पर आज कोई राजी नहीं होता ,अंबुजा का जो उद्योग मुंडवा में लगा है लोगों को मुआवजा मिला उसमे से आसपास के लोगों को आधे पैसे तो उनके इलाज में चले जाते हैं, कईयों को टीबी हो गई कई मरने की स्थिति में पहुंच गए। मुंडवा में सुबह जब आप गाड़ी पर उंगली घमयंगे, उंगली पूरी धूल से भर जाती है। तो आप अपने फेफड़े तैयार रखना, जो ₹8 लाख आपको मिल रहे हैं, उनमें से आप अलग से कॉलम बना के रखो कि ₹4 लाख तो इलाज में ही खर्च हो जाएंगे। अगर आपका बेचने का मन है तो कम से कम इनसे रुपए तो ठीक लो और नहीं बेचने का मन है तो भी हम आपके साथ हैं। स्पष्ट नीतियां बनी हुई है देश में जो

भू अधिकरण के कानून बने हैं उसमें प्रावधान हैं प्रावधान है कि यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति भूमिका अधिकरण करता है तो तो उस किसान को संतुष्ट करके और किसान को लगेगा कि वह बेचने के लिए तैयार है तभी जमीन खरीद सकते हैं। आप यह मत सोचना कि आपके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं. आप ऐसे भी मत सोचना कि एसडीएम साहब बैठे हैं और चारों तरफ पुलिस का घेरा है हमसे जबरदस्ती साइन करवा लेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना आप भरोसा रखें। गांव के 5–7 जो भरोसेमंद व्यक्ति हों वे एक कमेटी बनाओ। हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर एक रहें और युवा साथियों से से मेरा यह कहना है कि वह यह सोचे कि हमारे जो भाई बैठे हैं उनका नुकसान ना हो। कंपनी आपको छोटा–मोटा लालच भी देगी जैसे अंबुजा दे रही है. भाई को भाई से लड़ाई करवाएगी। मैंने अंबुजा की जनसुनवाई में देखा था कि सगे भाई आपस में लड़ रहे थे।यहां जो अधिकारी बैठे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि मैं अपना प्रतिवेदन दे रहा हूं आप इसे भी नोट करें और सरकार में सही रिपोर्ट भेजें कि कहीं ना कहीं वापस अभियान चलाकर जनसुनवाई को 1– 2 महीने के लिए आगे करके नए सिरे से इसकी जनसुनवाई करें। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है एकदम सही वापस बनाएं और जो गलत तथ्य हैं उनका आंकड़ा जिन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में पेश किया है उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। यहां गलत जानकारी पेश करें, यह कितनी बड़ी बात है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं. एसडीएम यहां बैठे हैं, तहसीलदार यहां बैठे हैं, उनके होते हुए भी आपने यह लिख दिया कि यहां कोई फॉरेस्ट की जमीन नहीं है. इनके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए. मेरा लास्ट में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी जो एकता है जब तक आप को मंजिल नहीं मिले तब तक यह एकता जरूरी है तभी लगेगा कि हमने भाषण दिया और आपने सुना और सब लोग बैठकर आपस में विकास की ओर हम नया जो हमारा पथ है उस पथ पर हम चलें और या यहां से जाकर अलग–अलग मत में बैठ जाए तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। सबका एक ही प्रयास है कि यहां के किसानों को अच्छा पैसा मिले, आने वाला जो उनके बच्चों का भविष्य हो कैसे उज्जवल हो यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताएं, उनको नौकरी देंगे, क्या इनकी योजनाएं रहेंगी, डिटेल में एक बार बताएं उसके बाद ही आप बैठकर तय करके कार्यक्रम आप संपन्न करना। धन्यवाद!

जनसनुवाई के दौरान उक्त खनन परियोजना से संबंधित सुझाव/ अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में 06 प्राप्त हुए है। (प्रति संलग्न) 01 अभ्यावेदन जनसुनवाई के पश्चात् प्राप्त हुआ है(प्रति संलग्न)

Deepika

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों /व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्री धीरज कुमार सिंह उप खंड अधिकारी खींवसर जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

श्री धीरज कुमार सिंह
उप खंड अधिकारी
खींवसर नागौर (राज.)

श्रीमती सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर (राज.)

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

मेसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, की प्रस्तावित प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान समूह–2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021), खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी/अपशिष्ट 292745 घन मीटर (0.8 मिलियन टन प्रति वर्ष–एम.टी.पी.ए.), क्रशर क्षमता 1000 टन प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए., खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर हेतु पर्यावरण क्लियरेंस हेतु जन सुनवाई आज दिनांक 18 मई 2023 को सुबह 11 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरावास के सामने खुले मैदान मे गाँव बेरावास तहसील खीमसर जिला नागौर (राजस्थान) पर जन सुनवाई मे उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक गण –

क्रम स.	व्यक्ति का नाम	पता/ विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	D. Kheeraj Singh	उपखंड अधिकारी, खींवसर नागौर	[signature]
2	Savita,	क्षेत्रीय अधिकारी, (नागौर) रा.प्र.नि.म.	Savita
3	Amar Singh Manjhu	तहसीलदार खींवसर का.प्र.नि.म.	[signature]
4	अशोक बिस्सु	SHO PS खींवसर	[signature]
5	दूरसुख जी	बैरावास	[thumbprint]
6	नैनाराम जी	मुन्डियाड	नेनाराम
7	गणपतराम जी	ताडावास	गणपतराम
8	भोलाराम जी	ताडावास	भोलाराम
9	कँवराराम जी	बैरावास	[thumbprint]
10	सुकेश जी मीणा	खींवसर (थाना)	[signature]
11	सि.डा. श्री प्रजापत	भावण्डा थाना	[signature]
12	सुखाराम HC 217	पुलिस थाना खींवसर	[signature]
13	बलवीर सिंह HC	पुलिस थाना खींवसर	[signature]
14	हेमाराम कां 516	PS खींवसर	[signature]
15	प्रकाश कां 911	PS खींवसर	[signature]
16	श्रवण कां 1540	PS खींवसर	[signature]
17	सुबीर कां 1955	PS खींवसर	[signature]
18	बलदेव कां 1181	PS खींवसर	[signature]
19	श्रीमती गुड्डू म.कां	PS खींवसर	गुड्डू देवी
20	उगराराम HC	PS पांचौड़ी	[signature]
21	कैलाश कां	PS भावण्डा	[signature]
22	चन्द्राराम कां	PS भावण्डा	[signature]

मेसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, की प्रस्तावित प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान समूह–2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021), खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी/अपशिस्ट 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष–एम.टी.पी.ए.), क्रशर क्षमता 1000 टन प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए., खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर हेतु पर्यावरण क्लियरेंस हेतु जन सुनवाई आज दिनांक 18 मई 2023 को सुबह 11 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरावास के सामने खुले मैदान में गाँव बेरावास तहसील खींवसर जिला नागौर (राजस्थान) पर जन सुनवाई मे उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक गण –

क्रम स.	व्यक्ति का नाम	पता/ विभाग का नाम	हस्ताक्षर
23	[illegible]	[illegible]	[signature]
24	अजय शर्मा	नागोर	अजय
25	प्रहलादराम	नागोर	प्रहलादराम
26	सुरेश तेली	नागोर	suresh
27	बालमुकन्द	नागोर	BS
28	[illegible]	नागोर	[signature]
29	सुगनाराम जी	ताडावास	सुगनाराम
30	भागाराम जी	ताडावास	
31	गणपतराम जी	ताडावास	गणपतराम
32	डुंगरराम जी	ताडावास	[thumb impression]
33	जिवणराम जी	ताडावास	जीवणराम
34	सहदेव राम	[illegible]	सहदेव
35	[illegible]	Med. & Health Dohne	[signature]
36	कंचन	medical	कंचन
37	राजेश	ताडावास	राजेश
38	जयराम जी	ताडावास	जयराम
39	दयालराम	ताडावास	[signature]
40	Jagmal Singh	Khivsar	[signature]
41	Arjun Singh	Khivsar	[signature]
42	Balveer singh	RSS	[signature]
43	Rajendra Singh	R.SS	[signature]
44	Narendra Singh	RSS	[signature]

मेसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, की प्रस्तावित प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान समूह–2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021), खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी/अपशिस्ट 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष–एम.टी.पी.ए.), क्रशर क्षमता 1000 टन प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए., खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर हेतु पर्यावरण क्लियरेंस हेतु जन सुनवाई आज दिनांक 18 मई 2023 को सुबह 11 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरावास के सामने खुले मैदान में गाँव बेरावास तहसील खीमसर जिला नागौर (राजस्थान) पर जन सुनवाई मे उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक गण –

क्रम स.	व्यक्ति का नाम	पता/ विभाग का नाम	हस्ताक्षर
45	जोगीराम	नागौर	जोगीराम
46	भरत माली	नागौर	भरत माली
47	प्रदिप सिंह	नागौर	[signature]
48	प्रमोद राकेश	नागौर	[signature]
49	विरेन्द्रपालसिंह	नागौर	विरेन्द्रसिंह
50	परमेन्द्र सिंह	नागौर	[signature]
51	नरपतराम	धारनावास	[signature]
52	कंवराराम	नाडावास	[signature]
53	बालूराम	नाडावास	बालूराम
54	पूनमदास	बेरावास	[thumbprint]
55	महाराम	मोडवा	[thumbprint]
56	~~[illegible]~~ भियाराम	बेरावास	Bhiyaram
57	रामलाल	बेरावास	रामलाल
58	दयालराम जांगिड़	नाडावास	[signature]
59	राजेश शर्मा	नाडावास	राजेश शर्मा
60	हरदीनराम	बेरावास	हरदीनराम
61	प्रतापराम	नाडावास	[thumbprint]
62	भोमाराम	नाडावास	भोमाराम
63	राजूराम	बेरावास	राजूराम
64	आकाराम	नाडावास	[thumbprint]
65	अमराराम	बेरावास	अमराराम बेरावास

मेसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, की प्रस्तावित प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान समूह–2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021), खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी/अपशिस्ट 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष–एम.टी.पी.ए.), क्रशर क्षमता 1000 टन प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए., खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर हेतु पर्यावरण क्लियरेंस हेतु जन सुनवाई आज दिनांक 18 मई 2023 को सुबह 11 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरावास के सामने खुले मैदान में गाँव बेरावास तहसील खीमसर जिला नागौर (राजस्थान) पर जन सुनवाई मे उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक गण

क्रम स.	व्यक्ति का नाम	पता/ विभाग का नाम	हस्ताक्षर
66	तेजाराम	ताडावास	तेजाराम
67	महादेव	ताडावास	
68	शिवनारायण	खोड़ता	
69	धनाराम	खोडता	
70	मुकेश	हरिपुरा	मुकेश
71	अशोक	देहरु	आशोक
72	भगवानराम	खींवसर	
73	केला देवी	ताडावास	
74.	इवादेवी	ताडावास	
75.	पकूथीदेवी	ताडावास	
76.	Santosh Dots	Khimsar	
77.	अनिल शर्मा	ताडावास	अनिलशर्मा
72	हीराराम	हरीपुरा	हीराराम
73	नरसी	हरीपुरा	नरसी
74	Shermd	Haripura	Shermd
75.		दिनेशताडा	
76.	सुरज		

भाणाराम

मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, की प्रस्तावित प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान समूह–2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021), खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी/अपशिस्ट 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष–एम.टी.पी.ए.), क्रशर क्षमता 1000 टन प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए., खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर हेतु पर्यावरण क्लियरेंस हेतु जन सुनवाई आज दिनांक 18 मई 2023 को सुबह 11 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरावास के सामने खुले मैदान में गाँव बेरावास तहसील खीमसर जिला नागौर (राजस्थान) पर जन सुनवाई मे उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक गण –

क्रम स.	व्यक्ति का नाम	पता/ विभाग का नाम	हस्ताक्षर
77	धोरावा		
78	Dr. Sakshi Choudhary.	Medical & Health	Sakshi.
79	Dr. Sanjeev Agrawal	Consultant Greencindia Pvt Ltd. UP-Delhi-NCR	18/05/2023
80	Dr. Amal Krishna Saha	Consultant (greencindia)	
81	R. R. Gupta	Director Khinsar - Camp	
82	Jayanta Kundu.	Khimsar. JKLC	
83	P. Chatterjee	Khimsar Camp JKLC	
84	Dr. Hitesh Sukhwal	HoD Environment JKLC	
85	Dinesh Pandya.	Auth. officer, JKLC.	
86	Chetan Rawal	CSR JKLC	
87	Hemant Kumar	JEE RO RSPCB Nagaur	
88	Tejaram	"	
89.	Ajay Sharma	Environment - JKLC	

एजुकेशन भास्कर

ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का अवसर

ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज सोसायटी ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप, यूके 2023

किसके लिए : यह स्कॉलरशिप ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज सोसायटी ऑफ इंडिया (ओसीएसआई ...) द्वारा प्रदान की जा रही है। ...

योग्यता : ...

क्या मिलेगा : ...

आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मई 2023

अधिक जानकारी के लिए देखें : www.b4s.in/db/OCS9

मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप 2023-24

किसके लिए है : यह स्कॉलरशिप झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। ...

योग्यता : ...

क्या मिलेगा : ...

आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मई 2023

अधिक जानकारी के लिए देखें : www.b4s.in/db/MGJS4

नीति इंटर्नशिप 2023

किसके लिए : यह इंटर्नशिप भारत सरकार के नीति आयोग की एक पहल है। ...

योग्यता : ...

क्या मिलेगा : अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

आवेदन की अंतिम तिथि : 10 मई 2023

अधिक जानकारी के लिए देखें : www.b4s.in/db/NIPS4

सवाल और सुझाव के लिए ई-मेल कीजिए yuva@dbcorp.in

इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट • जारी हुई बदलावों की जानकारी, 26 जुलाई से शुरू होंगे स्लॉट्स

TOEFL: अब परीक्षा के लिए तीन की जगह मिलेंगे दो घंटे, रीडिंग सेक्शन भी हुआ छोटा

एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज (ईटीएस) ने विदेश में पढ़ाई के लिए जरूरी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज ... 26 जुलाई से ...

अपने देश की करेंसी में भी होगा रजिस्ट्रेशन

चार सेक्शंस में आयोजित की जाती है यह परीक्षा

इन देशों की यूनिवर्सिटी में मिलता है एडमिशन

9 की जगह 7 पेपर होंगे प्रोफेशनल में

सीएसः एग्जीक्यूटिव में एक व प्रोफेशनल में दो पेपर किए कम

हर पेपर में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल

आरपीएससीः अवकाश के दिन भी खुला रहा आयोग का दफ्तर

5वीं बोर्ड: 1.67 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा कल से

नाटा-1 के लिए रजिस्ट्रेशन अब 13 तक होंगे, एग्जाम 21 को

एसआई भर्ती : सातवें चरण के इंटरव्यू लेटर जारी किए

करंट अफेयर्स

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सामान्य-ज्ञान उपयोगी होगा।

- किस राज्य में देश के संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी हुआ है?
- Inirchox 2023 किसने सर्वाधित है?
- राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है?
- पहला किस कक्षा का अंतर्राष्ट्रीय ... सेंटर ...?

नागौर — Nagaur Bhaskar 12/04/2023, P. 15

कथा महोत्सव • मौलासर कस्बे व खारिया गढ़ में भागवत कथा के दौरान सुंदर झांकियों की प्रस्तुति

भक्त के वश में है भगवान: चंद्रप्रकाश शास्त्री

श्रीमद् भागवत कथा के तहत हुआ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

कुचामन सिटी. महाराज में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर नृत्य करती महिलाएं।

मौलासर. कथा के दौरान महिलाएं और ...

भादीपीठाधीश्वर ने व्यवस्था का लिया जायजा, ... मुद्दों पर किया विचार-विमर्श

... व्यवस्थाओं का जायजा लेते संत।

भ्रूण हत्या ब्रह्म हत्या के समान है: दामाराम महाराज

... में जागरण कल

जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदार ने तोड़ी सड़क और नालियां, ग्रामीण हो रहे हैं परेशान

रोल गांव का मामला, ग्राम पंचायत खुद ठेकेदार से हो रही है परेशान

भाजपा से युवाओं को जोड़ा जाने का संकल्प

एक वर्ष से नहीं मिला नरेगा में रोजगार

पीएम श्री में जिले की 18 स्कूलों का चयन

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

ED to court: Sisodia planted emails to show public support

New Delhi: [illegible] deputy chief minister Manish Sisodia played a "key role" in implementing the [illegible] and planted [illegible] emails to show there was public approval for it, the Enforcement Directorate (ED) told a Delhi court on Wednesday.

Special public prosecutor (SPP) Zoheb Hossain, appearing for ED, made the submissions before the court of special judge M K Nagpal while opposing Sisodia's bail plea in a money laundering case related to alleged irregularities in Delhi Excise Policy 2021-22. TNN

NORTHERN RAILWAY
NOTICE
Sh. Samay Singh Meena S/o Babu Lal Meena/ Pointsman / AST (Residential add - Vill - Jinsi Ka Pura, Post- Toda Bheem, Tehsil-Toda Bheem, Dist.-Karauli, Rajasthan, Pin- 321611) working as Sr. Pointsman under SS/AST has been absent from duty without any intimation or sanctioned leave since 10.09.2022. Communication has been sent to Sh. Samay Singh Meena/ Pointsman / AST on the address available in records via speed post on 20.12.22, but no response was received in this office till date. Sh. Samay Singh Meena / Pointsman/AST is therefore directed to report within 10 days of publication of this notice, failing which action will be taken against him without any further notice / communication as per extant rules. [illegible]
SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र - Durgapur Steel Plant
Durgapur - 713 203
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
For providing better healthcare facilities to its employees & dependents in terms of specialized treatment in certain departments/areas viz. Orthopaedics (OPD & Surgical Procedures), Rheumatology, Neurology/Neurosurgery, Cardiology & Oncology etc., Durgapur Steel Plant is planning to utilize services of reputed doctors as part-time consultants from hospitals/healthcare institutions at Durgapur Steel Plant Main Hospital, Durgapur. In this connection, Expression of Interest (EOI) is invited from doctors/[illegible]/healthcare institutions willing to provide such services. Interested doctors/[illegible] may send their application with all relevant testimonials/documents [illegible] name of the doctors/hospitals/healthcare institutions, address [illegible] e-mail ID in a [illegible] superscribing "Expression of [illegible] for providing healthcare [illegible] at DSP Main Hospital" to the [illegible] address within 04.05.2023: Office of the CMO [illegible], 1st Floor, DSP Main Hospital, J M Sengupta Road, B-Zone, Durgapur - 713205, Paschim Bardhaman, West Bengal.
Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003
There's a little bit of SAIL in everybody's life

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahakari Bhawan, Vikas Bhawan, College Road, Opposite Police Line, Nagaur-341001
Email: [illegible]
RPCB/RO NGR/PH-[illegible]
Date: 04/04/2023
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
[illegible]
(सचिव)
क्षेत्रीय अधिकारी

APPENDIX IV-A
[See proviso to Rule 8(6)]
Sale Notice for sale of Immovable Property
E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable Property mortgaged to Indiabulls Housing Finance Ltd. (CIN: L65922DL2005PLC136029) ("Secured Creditor"), the constructive possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 29.04.2023 from 02.00 P.M. to 04.00 P.M., for recovery of Rs. 41,46,528/- (Rupees Forty One Lakh Forty Six Thousand Five Hundred Twenty Eight only) pending towards Loan Account No. HHLJAI00436475, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 11.04.2023 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 12.04.2023 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from Jaswant Sharma, Komal Sharma, Babu Lal Sharma and Ganesh Ram.
The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 24,00,000/- (Rupees Twenty Four Lakh only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 2,40,000/- (Rupees Two Lakh Forty Thousand only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES
FLAT NO. S-1 ON SECOND FLOOR IN PLOT NO. 216 BLOCK E, GOVINDPURA KARDHANI JDA SCHEME, KALWAR ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN - 302012.
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.indiabullshomeloans.com. For bidding, log on to www.auctionfocus.in
Sd/-
Date: 11.04.2023 AUTHORISED OFFICER
Place: JAIPUR INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.

APPENDIX IV-A
[See proviso to Rule 8(6)]
Sale Notice for sale of Immovable Property
E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Indiabulls Housing Finance Ltd. (CIN: L65922DL2005PLC136029) ("Secured Creditor"), the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 29.04.2023 from 02.00 P.M. to 04.00 P.M., for recovery of Rs. 20,84,574/- (Rupees Twenty Lakh Eighty Four Thousand Five Hundred Seventy Four only) pending towards Loan Account No. HHLJAI00476883, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 11.04.2023 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 12.04.2023 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from Ram Bhajan Singh and Munni Devi.
The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 9,00,000/- (Rupees Nine Lakh only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 90,000/- (Rupees Ninety Thousand only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
FLAT NO. G-2, GROUND FLOOR, VARDHAMAN APARTMENT-6, CONSTRUCTED ON PLOT NO. E-6, MANGLAM CITY, VILLAGE HATHOJ, KALWAR ROAD, JAIPUR-302012, RAJASTHAN, ADMEASURING 600 SQ.FT.
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.indiabullshomeloans.com. For bidding, log on to www.auctionfocus.in
Sd/-
Date: 11.04.2023 AUTHORISED OFFICER
Place: JAIPUR INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.

TOI LINE OF NO CONTROL — Sandeep Adhwaryu

A TALE OF TWO PARTIES

WEST CENTRAL RAILWAY
E-AUCTION
Sr. Divisional Commercial Manager, Kota Division, West Central Railway [illegible] e-Auction for the contract of 'Parking'. The catalogue has already been published on IREPS website (e-Auction Leasing). The details are as under: Catalogue No. Parking-2-2023, Type of Contract: Parking, Lot No.: PARKING-KOTA-[illegible] [illegible] Contract Period: 03 Years. Date & Time of E-Auction: E-Auction for all lots will start at 10:00 hours on 24.04.2023 [illegible] closing off period is 30 minutes. Subsequent Lot Closing interval is 10 minutes [illegible] lots closing time can be viewed in e-Auction module of IREPS.
Sr. Divisional Commercial Manager
West Central Railway, Kota
कोरोना को हराना है, तो टीका लगवाना है

APPENDIX IV-A
[See proviso to Rule 8(6)]
Sale Notice for sale of Immovable Property
E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Indiabulls Housing Finance Ltd. (CIN: L65922DL2005PLC136029) ("Secured Creditor"), the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 29.04.2023 from 02.00 P.M. to 04.00 P.M., for recovery of Rs. 20,77,108/- (Rupees Twenty Lakh Seventy Seven Thousand One Hundred Eight only) pending towards Loan Account No. HHLJIP00407391, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 11.04.2023 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 12.04.2023 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from Vijay Singh and [illegible] Kanwar.
The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 9,00,000/- (Rupees Nine Lakh only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 90,000/- (Rupees Ninety Thousand only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
FLAT NO. S-2 HAVING TOTAL AREA OF 891.74 SQ. FEET ON SECOND FLOOR [illegible] 'SUN RISE CITY' APARTMENT SITUATED ON PLOT NO. A-46, NIWAROO ROAD, JAIPUR-302012, RAJASTHAN ALONG WITH COMMON PARKING SPACE.
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.indiabullshomeloans.com. For bidding, log on to www.auctionfocus.in
Sd/-
Date: 11.04.2023 AUTHORISED OFFICER
Place: JAIPUR INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.

APPENDIX IV-A
[See proviso to Rule 8(6)]
Sale Notice for sale of Immovable Property
E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Indiabulls Housing Finance Ltd. (CIN: L65922DL2005PLC136029) ("Secured Creditor"), the constructive possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 29.04.2023 from 02.00 P.M. to 04.00 P.M., for recovery of Rs. 17,85,182/- (Rupees Seventeen Lakh Eighty Five Thousand One Hundred Eighty Two only) pending towards Loan Account No. HHLJAI00348166, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 11.04.2023 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 12.04.2023 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from Mr. Satyavir Singh and Mrs. Sushila.
The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 14,00,000/- (Rupees Fourteen Lakh only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 1,40,000/- (Rupees One Lakh Forty Thousand only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
FLAT NO. G-2, GROUND FLOOR, PLOT NO. 217-D, GANESH NAGAR, NIWARU ROAD, JAIPUR-302012, RAJASTHAN, ADMEASURING AREA OF 800 SQ.FT.
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.indiabullshomeloans.com. For bidding, log on to www.auctionfocus.in
Sd/-
Date: 11.04.2023 AUTHORISED OFFICER
Place: JAIPUR INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.

APPENDIX IV-A
[See proviso to Rule 8(6)]
Sale Notice for sale of Immovable Property
E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged to Indiabulls Housing Finance Ltd. (CIN: L65922DL2005PLC136029) ("Secured Creditor"), the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditor, will be sold on "as is where is", "as is what is" and "whatever there is" basis on 29.04.2023 from 02.00 P.M. to 04.00 P.M., for recovery of Rs. 27,67,035/- (Rupees Twenty Seven Lakh Sixty Seven Thousand Thirty Five only) pending towards Loan Account No. HLAPAJM00353257, by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 11.04.2023 with applicable future interest in terms of the Loan Agreement and other related loan document(s) w.e.f. 12.04.2023 along with legal expenses and other charges due to the Secured Creditor from Mangi Lal Sen (Proprietor, Sen Coaching Centre), Jitendra Sen, Sita Devi, Deepika Sen and Ratan Lal.
The Reserve Price of the Immovable Property will be Rs. 13,50,000/- (Rupees Thirteen Lakh Fifty Thousand only) and the Earnest Money Deposit ("EMD") will be Rs. 1,35,000/- (Rupees One Lakh Thirty Five Thousand only) i.e. equivalent to 10% of the Reserve Price.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEING HOUSE/ PLOT NO. [illegible] ADMEASURING 100 SQ. YDS., SITUATED AT PART OF KHASRA NO. 155 & [illegible] MOTI NAGAR, SENDRA ROAD, VILLAGE GOVINDPURA, TEHSIL BEAWAR & DISTRICT AJMER-305901 RAJASTHAN. BOUNDARIES OF THE PROPERTY ARE AS FOLLOWS:
EAST : ROAD
WEST : PLOT NO. 102 & 109
NORTH : PLOT NO. 114
SOUTH : PLOT NO. 112
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on the website of the Secured Creditor i.e. www.indiabullshomeloans.com. For bidding, log on to www.auctionfocus.in
Sd/-
Date: 11.04.2023 AUTHORISED OFFICER
Place: AJMER INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD.

'Tomorrow another dispensation may say new report isn't acceptable'

▸ Continued from P 1

The court said it would conclude the hearing in a time-bound manner and asked all the parties to file their brief written submission and make a common compilation for smooth hearing in the case in which both sides would get two days each to conclude the arguments.

Responding to additional solicitor general KM Nataraj's submissions that after rejection of the earlier report, the court should wait for empirical data collected by the new commission, the bench said, "Tomorrow there will be a different political dispensation which may say the new report is not acceptable. How many committees would be appointed?" Senior advocates Raju Ramachandran, C D Singh, Colin Gonsalves and Prashant Bhushan submitted that the issue could be adjudicated by the court as there is enough material on the issue which showed that Dalit Muslims and Dalit Christians are treated as "untouchables" and discriminated against and are at the bottom of the social hierarchy.

The Centre had earlier said Dalits who had converted to Christianity and Islam cannot be given SC status as there is no backwardness or oppression in those religious communities

One of the parties opposing the plea submitted that if Dalit Christians and Muslims are still treated as untouchables, they can take legal recourse.

Justice Amanullah, however, said, "Social stigma and religious stigma are different things. Social stigma may continue even after conversion. We cannot shut our eyes when we are considering all these constitutional matters."

The Centre had earlier told the court that Dalits who had converted to Christianity and Islam cannot be given SC status as there is no backwardness or oppression in these religious communities.

In an affidavit, the ministry of social justice and empowerment said the Constitution (Scheduled Castes) Order of 1950 does not suffer from any unconstitutionality and it is legal and valid.

The Centre was responding to a plea by the Centre for Public Interest Litigation, an NGO, which was filed in 2004.

"In fact, one of the reasons for which people from Scheduled Castes have been converting to religions like Islam or Christianity is that they can come out of the oppressive system of untouchability which is not prevalent at all in Christianity or Islam," the affidavit said.

कार्यालय परियोजना निदेशक पी.पी.पी. सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा

क्रमांक:- 960

दिनांक 29.03.2023

सार्वजनिक सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 26.02.2020 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक:- F-7(493) SHA/PPP/2019-20/1745 दिनांक 25.02.2020 के अनुसार राज्य राजमार्ग क्रमांक-74 कनवास-खानपुर-अकलेरा किमी 0.0 से 74.820 किमी में से कुल 72.327 किमी तक के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क ग्राम कनवास यथा किमी 3.77, ग्राम [illegible] यथा किमी 53.300, राज्य राजमार्ग क्रमांक 74ए देवली-कनवास किमी 0.00 से 14.850 तक के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क ग्राम आवा यथा किमी 6.545 किमी, राज्य राजमार्ग क्रमांक 19बी आलोट (म.प्र.)-गंगधार-सुवासरा (म.प्र.) किमी 0.0 से 24.550 किमी में से कुल 21.89 किमी तक के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क ग्राम – तलावली यथा किमी 9.75 किमी तथा राज्य राजमार्ग क्रमांक 22 खेड़ली-पहाड़ी किमी 0.00 से किमी 61.156 में से कुल 60.356 किमी तक के लिए यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क ग्राम – अकलरा यथा किमी 7.81 ग्राम-पूनाय यथा किमी 43.25 पर स्थित टोल प्लाजाओं पर उद्ग्रहीत एवं संगृहीत किया जायेगा। वर्ष 2023-24 के लिए प्रयोक्ता शुल्क निम्न दरों के अनुसार देय होगा। जो शुल्क वसूली एजेंसी द्वारा उनके साथ हुए अनुबंध के प्रावधान के अनुसार वसूल किया जायेगा।

(राशि रु. में)

वाहन की श्रेणी	टोल प्लाजाओं का नाम व चैनेज: कनवास (किमी. 3.77)			[illegible] (किमी. 53.300)			आवा (किमी. 6.545)			तलावली (किमी. 9.75)			अकलरा (किमी. 7.81)			पूनाय (किमी. 43.25)		
	एकल यात्रा के लिए शुल्क	एक दिन के भीतर वापसी यात्रा के लिए शुल्क	50 यात्रा के लिए मासिक शुल्क	एकल यात्रा के लिए शुल्क	एक दिन के भीतर वापसी यात्रा के लिए शुल्क	50 यात्रा के लिए मासिक शुल्क	एकल यात्रा के लिए शुल्क	एक दिन के भीतर वापसी यात्रा के लिए शुल्क	50 यात्रा के लिए मासिक शुल्क	एकल यात्रा के लिए शुल्क	एक दिन के भीतर वापसी यात्रा के लिए शुल्क	50 यात्रा के लिए मासिक शुल्क	एकल यात्रा के लिए शुल्क	एक दिन के भीतर वापसी यात्रा के लिए शुल्क	50 यात्रा के लिए मासिक शुल्क	एकल यात्रा के लिए शुल्क	एक दिन के भीतर वापसी यात्रा के लिए शुल्क	50 यात्रा के लिए मासिक शुल्क
कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन या अनुरूप वाहनों से [illegible]	50	75	1615	40	55	1270	15	25	570	25	40	945	40	55	1250	50	90	1720
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	75	110	2455	60	85	1935	25	40	870	40	60	1290	55	85	1905	80	120	[illegible]
बस या ट्रक	145	220	4845	115	170	3810	50	75	1715	75	115	2530	115	170	3735	165	235	5180
भारी निर्माण मशीनरी (भ.नि.म.) व अर्थमूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) व बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (तीन से छः धुरी वाले)	235	355	7860	190	285	6350	85	130	2860	125	190	4220	190	285	6255	260	390	8655
अति आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	290	435	9645	230	345	7625	105	155	3430	150	230	5065	225	340	7505	310	465	10365

2. राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार दरों में संशोधन किया जावेगा, जो प्रत्येक वर्ष दिनांक एक अप्रैल से प्रभावी होगा।

3. राज्य राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात

संदेय राशि	अनुज्ञात एक तरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. गैर व्यावसायिक यांत्रिक वाहन स्वामी के किसी टोल प्लाजा से बीस किमी की दूरी में ही निवासित होने पर उनके लिए 280 रुपये मासिक दर पर इस राज्य राजमार्ग के एक निर्दिष्ट खण्ड को उपयोग करने के लिए पास बनाए जा सकेंगे, जो इस राज्य राजमार्ग के दूसरे टोल प्लाजा से पहले तक मान्य होगा तथा पास की दर राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधित की जावेगी।

5. राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2015 के नियम 10 के अनुसार स्वीकृत सीमा से दस प्रतिशत से अधिक भार वाले वाहनों को उससे उच्चतर श्रेणी हेतु निर्धारित प्रयोक्ता शुल्क एवं साथ ही समान राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

6. प्रयोक्ता शुल्क भुगतान से मुक्त वाहनों की सूची राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 32 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार होगी।

7. किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत अथवा सुझाव हेतु कार्यालय परियोजना निदेशक, (पीपीपी-कोटा), ऑफिस ऑफ [illegible] सुपरिन्टेन्डेन्ट पी.डब्लू.डी. [illegible] सर्किल कोटा राजस्थान (ई मेल आई डी pdppp.kota@gmail.com से संपर्क किया जा सकता है।

(हितेश कुमार गुप्ता)
परियोजना निदेशक, पीपीपी,
सा.नि.वि., कोटा

DIPR/C/3137/2023

नागौर पत्रिका

खींवसर . कुचेरा . मूण्डवा . जायल . मेड़तारोड . गोटन . छोटीखाटू

पत्रिका डिजिटल कनेक्ट
patrika.com

आपके साथ चलेंगी खबरें
पत्रिका डिजिटल पर अपनी खबर का व्यापक कवरेज, वीडियो व फोटो देखने और अपनी राय रखने के लिए संबंधित लोगों के साथ दिए लिंक को मोबाइल पर टाइप करें...

बारहवीं विज्ञान और कॉमर्स का परिणाम जारी, नागौर जिले में बेटियां रही आगे

विज्ञान 97.63 व कॉमर्स का परिणाम रहा 97.09 फीसदी रहा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नागौर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारहवीं विज्ञान और कॉमर्स के नतीजे गुरुवार शाम को जारी कर दिए गए। नागौर जिले में विज्ञान का परिणाम 97.63, जबकि कॉमर्स का 97.09 फीसदी रहा। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का परिणाम बेहतर रहा। देर शाम परिणाम को लेकर जिले में हलचल ...

नागौर शहर में देर शाम बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को मिठाई खिलाते परिजन।

खुशियों के बजे ढोल

... 646 में 333 छात्र पुरुष, 276 ... 37 ... 256 ... 10 हजार 474 ... 427 ... 474 ...

घरों में शोर-गुल, बधाई का दौर

ब्रीफ न्यूज

युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

नागौर @ पत्रिका. ...

खिलाड़ियों का किया चयन, पैरा खेल अकादमियों में मिलेगा प्रवेश

आवेदन आज शाम पांच बजे तक किया जा सकता है

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नागौर. राजस्थान क्रीड़ा परिषद की ओर से ... पैरा खेल अकादमियों ... 23 से 24 ... कार्यक्रम ...

एक शाम शनि भगवान के नाम आज

खींवसर @ पत्रिका. ...

सीमेन्ट प्लांट भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, कम्पनी परियोजना के नाम पर उजाड़ रही घर

पर्यावरण स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई में ग्रामीणों का हंगामा

पत्रिका लाइव रिपोर्ट

गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं, किसानों को मिले जमीन के पूरे दाम, बैरावास, ताडावास के ग्रामीणों ने शुरू किया आन्दोलन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

खींवसर. बैरावास सहित आस-पास के चार गांवों में सीमेन्ट प्लांट के लिए प्रस्तावित ... को लेकर गुरुवार को पर्यावरण स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई में ग्रामीणों ने विरोध किया। ...

खींवसर उपखण्ड के बैरावास गांव में आयोजित लोक सुनवाई में विरोध जताते ग्रामीण।

राजनीतिक मंच नहीं बने आंदोलन

किसानों ने कहा कि यह उनके हित से जुड़ा आन्दोलन है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं हो। ...

नारेबाजी करते हुए पहुंचे

सुबह शुरू हुई लोक सुनवाई में ग्रामीणों के नहीं पहुंचने से पाण्डाल खाली रहा। मौके पर उपखण्ड अधिकारी डॉ. ... पर्यावरण नियंत्रण विभाग की क्षेत्रीय अधिकारी ... चौधरी, तहसीलदार ... ग्रामीणों की आपत्तियां नहीं ...

किसानों ने सौंपा ज्ञापन

किसान सभा के ... 20 हजार से अधिक ... 10 हजार ... 135.90 हैक्टेयर ... 200.39 हैक्टेयर ... कम्पनी को पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जाए।

एसडीएम को दिए जाएंगे ज्ञापन : बिजली कटौती समेत अनेक मुद्दों पर हल्ला बोलेंगे भाजपा कार्यकर्ता

कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन आज

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नागौर. बिजली समेत अनेक मुद्दे पर भाजपा शुक्रवार को कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन देगी। ...

नागौर. जानकारी देते नागौर विधायक मोहनराम चौधरी।

बीकानेर-जोधपुर बायपास के मोड़ पर सुबह करीब आठ बजे हुआ हादसा

घर से काम पर निकले बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने कुचला

पत्रिका लाइव रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नागौर. घर से काम पर निकले एक युवक को गुरुवार की सुबह ट्रेलर ने मौत की नींद सुला दिया। ...

मृतक ...

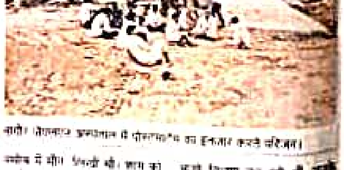
नागौर. जेएलएन अस्पताल में पोस्टमार्टम का इन्तजार करते परिजन।

... (40) जोधपुर रोड ...

कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक कल लाडनूं में

लाडनूं. जैन विश्वभारती में कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी।

प्रदेश मंत्री सैनी व पूनिया ने बैठक स्थल का लिया जायजा

लाडनूं @ पत्रिका. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 20 मई को लाडनूं स्थित जैन विश्वभारती ... सभागार में होगी। बैठक में कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ... कार्यक्रम की सफलता के लिए 25 ... समितियां बनाई गई हैं।

जिले में हर रोज 500 से ज्यादा कट रहे राज्य वृक्ष खेजड़ी

नागौर. ... काटे गए पेड़ों की लकड़ी।

प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने वाली फैक्ट्रियों में अवैध रूप से आपूर्ति करने का आरोप, पद्मश्री हिमताराम भांभू ने जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से किया कार्रवाई का आग्रह

नागौर @ पत्रिका. ... खेजड़ी ... प्लास्टर ऑफ पेरिस ...

नागौर के समाचार देखें @ पेज 04,06 व 07 पर भी

नि:शुल्क निसंतानता परामर्श शिविर 21 को

नागौर @ पत्रिका. ... जोधपुर के एक निजी अस्पताल के तत्वावधान में 21 मई को ...

नागौर भास्कर

नागौर | शुक्रवार 19 मई | 2023   नागौर सिटी • मूंडवा • कुचेरा • खींवसर   श्रीबालाजी • बासणी • जोधियासी • जायल   dainikbhaskar.com

मौसम

सूर्योदय 5.46 प्रात   सूर्यास्त 7.16 सायं

तापमान

दिन 40.0° अधिकतम | रात 27.0° न्यूनतम

मौसम: मौसम साफ रहेगा।

शहर में आज

धार्मिक/सामाजिक

लोकल सोना चांदी भाव

सोना		चांदी
24 कैरेट	22 कैरेट	प्रति किलो
61200	56100	72800

मंडी भाव

नागौर मंडी

मेड़ता मंडी

न्यूज ब्रीफ

शिक्षुता प्रशिक्षण आवेदन की अंतिम तिथि 31 तक

रिलायंस जियो ने लॉन्च की 5जी सेवाएं

आईटीआई में ऑनलाइन आवेदन 10 तक

कटाक्ष

बेटियां आगे • कॉमर्स में 99.22 प्रतिशत, विज्ञान में 98.66% बेटियां पास, छात्रों का कॉमर्स में 96.27% व विज्ञान में 97.05% रिजल्ट

12वीं विज्ञान में 97.63%, वाणिज्य में 97.09% रिजल्ट रहा

भास्कर न्यूज | नागौर

विज्ञान में पिछले साल प्रदेश में सीकर के साथ अव्वल थे, इस बार तीसरे स्थान पर खिसके, वाणिज्य में भी 9वें से 14वें स्थान पर आए

12 कॉमर्स

छात्र	
ने परीक्षा दी	671
पास हुए	646
पास प्रतिशत	96.27%

छात्रों की स्थिति: प्रथम [illegible], द्वितीय [illegible], तृतीय [illegible]

929 विद्यार्थियों में से 902 पास हुए

छात्राएं	
ने परीक्षा दी	258
पास हो गए	256
पास प्रतिशत	99.22%

छात्राओं की स्थिति: प्रथम 199, द्वितीय 56, तृतीय 1

वाणिज्य में भी पिछड़ गए

12 विज्ञान

16380 विद्यार्थियों में से 15992 पास हुए हैं

छात्र	
ने परीक्षा दी	10474
पास हुए	10165
पास प्रतिशत	97.05%

छात्रों की स्थिति: प्रथम 8777, द्वितीय 1231, तृतीय 4

छात्राएं	
ने परीक्षा दी	5906
पास हुए	5827
पास प्रतिशत	98.66%

छात्राओं की स्थिति: प्रथम 5285, द्वितीय 531, तृतीय 1

विरोध • गोचर भूमि गांव के पास में देने व तालाबों की अंगोर भूमि में खनन नहीं करने की मांग, किया प्रदर्शन

गोचर भूमि अधिग्रहण कर रेतीले धोरों में जमीन देने के विरोध में उतरे किसान, आधे घंटे में जनसुनवाई समाप्त

भास्कर न्यूज | डीडवाना

बैरावास में खनन के लिए कंपनी का विरोध, किसान बोले- हमें जमीन प्यारी, खनन नहीं

खींवसर. जनसुनवाई के दौरान पुलिसकर्मी पर बैठकर विरोध जताते किसान।

सरकार ने कंपनी को किया 424 हैक्टेयर भूमि का आवंटन

खींवसर. जनसुनवाई के दौरान मौजूद किसान।

राजनेताओं और अधिकारियों पर झूठ बोलने का आरोप, बेनीवाल बोले- हम तो हमेशा साथ हैं

आंधी से पटरियों पर पेड़ गिरने से दो ट्रेनें हुई लेट

बारदाना खत्म होने से चना, सरसों खरीद रुकी

भास्कर न्यूज | मेड़ता सिटी

जयपुर से मेड़ता सिटी पहुंची टीम ने बच्चों की मौत के बाद अब क्षेत्र में किया सर्वे

मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी में हुई बच्चों की मौत का मामला

भास्कर न्यूज | मेड़ता सिटी

चमकीला नहीं ब्लैक मून आज होगा: सारिका घारू

काली अमावस्या पर चंद्रमा का नाम ब्लैक मून, 29 माह बाद आती है ऐसी अमावस

भास्कर न्यूज | नागौर

आगामी ब्लैक मून

- 31 दिसंबर 2024: एक ही महीने में दो अमावस्या
- 23 अगस्त 2025: एक मौसम की चार अमावस्या में से तीसरी अमावस्या।

मौसम • 22 से 25 मई तक फिर बारिश, आंधी की संभावना रहेगी, तब तक गर्मी का असर बढ़ेगा

दूसरे दिन शाम तक आंधी में शहर, 40° रहा पारा

भास्कर न्यूज | नागौर

नागौर. बवंडर के बाद गुरुवार शाम को शहर में ऐसे छाया रहा धूल।

नागौर. दिनभर आसमान में धूल ... सूरज भी ढका रहा।

पिछले दो सप्ताह से तेज गर्मी का बना हुआ है असर

बस स्टैंड पर एक घर से 9 लाख के जेवरात चोरी

भास्कर न्यूज | मेड़ता सिटी

नरपत हत्याकांड में नेतड़ की फरारी में मदद करने वाला नारायण गिरफ्तार

पुलिस अब तक 15 आरोपियों को पकड़ चुकी

भास्कर न्यूज | नागौर

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

द्वारा

मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जे. के. लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड की एक सहायक इकाई)

टाडावास चूना पत्थर खदान क्षेत्र ब्लॉक - 4 जी-II-ए,

गाँव टाडावास, बेरावास, भावंडा और खोरवा, तहसील- खीमसर, जिला नागौर (राजस्थान)

प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान/समूह- 2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021),खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी / अपशिष्ठ 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष- एम.टी.पी.ए.), क्रशर क्षमता 1000 टन प्रति घंटा (टी.पी.एच.) , सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए. , खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर

हेतु पर्यावरणीय लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत करता है।

जन सुनवाई का स्थान- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरावास के सामने खुले मैदान में, गाँव बेरावास तहसील-खीमसर,जिला-नागौर (राजस्थान)

दिनांक - 18/05/2023, गुरुवार

समय - सुबह 11:00 बजे

आयोजक :

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

नागौर (राजस्थान)

RK STUDIO NAGAUR

2/2021 दिनांक 26/08/2021
प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान/समूह- 2/2021 दिनांक 26/08/2021
क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी / अपशिष्ट 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष
प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन 10.0
हेतु पर्यावरणीय
आपका हार्दिक स्वागत करता
जन सुनवाई का स्थान- राजकीय उच्च
बेरावास के सामने
तहसील-
नागौर (राजस्थान)
18/05/2023, गुरूवार
सुबह 11:00 बजे
10

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
मेसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जे. के. लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड की एक सहायक इकाई)
प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान/समूह- 2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021), खनन पट्टा
क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी / अपशिष्ठ 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष- एम.टी.पी.ए.), क्रशर क्षमता 1000 टन
प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए., खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर
हेतु पर्यावरणीय लोक सुनवाई में
हार्दिक स्वागत करता है।
जन सुनवाई का स्थान- राजकीय उच्च माध्यमिक
वास के सामने खुले मैदान में, गाँव बेरावास
तहसील-खीमसर,
(राजस्थान)

ThinkPad

शिष्ठ 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष- ए
ति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन 10.0 एम.
सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत करता है

पुरुष
HINDU

पत्रकार

द्वारा
मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जे. के. लक्ष्मी सीमेन्ट
टाडावास चूना पत्थर खदान क्षेत्र ब्लॉक - 4 जी-II-ए,
गाँव टाडावास, बेरावास, भावंडा और खोरवा, तहसील- खींवसर, जिला नागौर (
प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान/समूह- 2/2021 दिनांक 26/08/
क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी / अपशिष्ट 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन
प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन
हेतु पर्यावरणीय लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत
जन सुनवाई का स्थान- राजकीय उच्च माध्यमिक
दिनांक - 18.05.2023, गुरुवार
11.00 बजे

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

Rajasthan State Pollution

पका हार्दिक स्वागत करता है।
लय बेरावास के सामने खुले मैदान में
नागौर (राजस्थान)
राजस्थान

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
मैसर्स हंसदीप इंडस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जे. के. लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड की एक सहायक इकाई)
प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना (एलओआई संख्या पी.3 (2) खान/समूह- 2/2021 दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021),खनन पट्टा क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता, ओबी / अपशिष्ठ 292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष- एम.टी.पी.ए.), क्रशर क्षमता 1000 टन प्रति घंटा (टी.पी.एच.), सामान्य उत्पादन 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.), अधिकतम उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए. , खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर
हेतु पर्यावरणीय लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत करता है।
जन सुनवाई का स्थान- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरावास के ... मैदान में, गाँव बेरावास
तहसील-खींवसर, जिला-नागौर (राजस्...
आयोजक :
क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राजस्थान)
दिनांक - 18/05/2023, गुरुवार
समय - सुबह 11:00 बजे

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

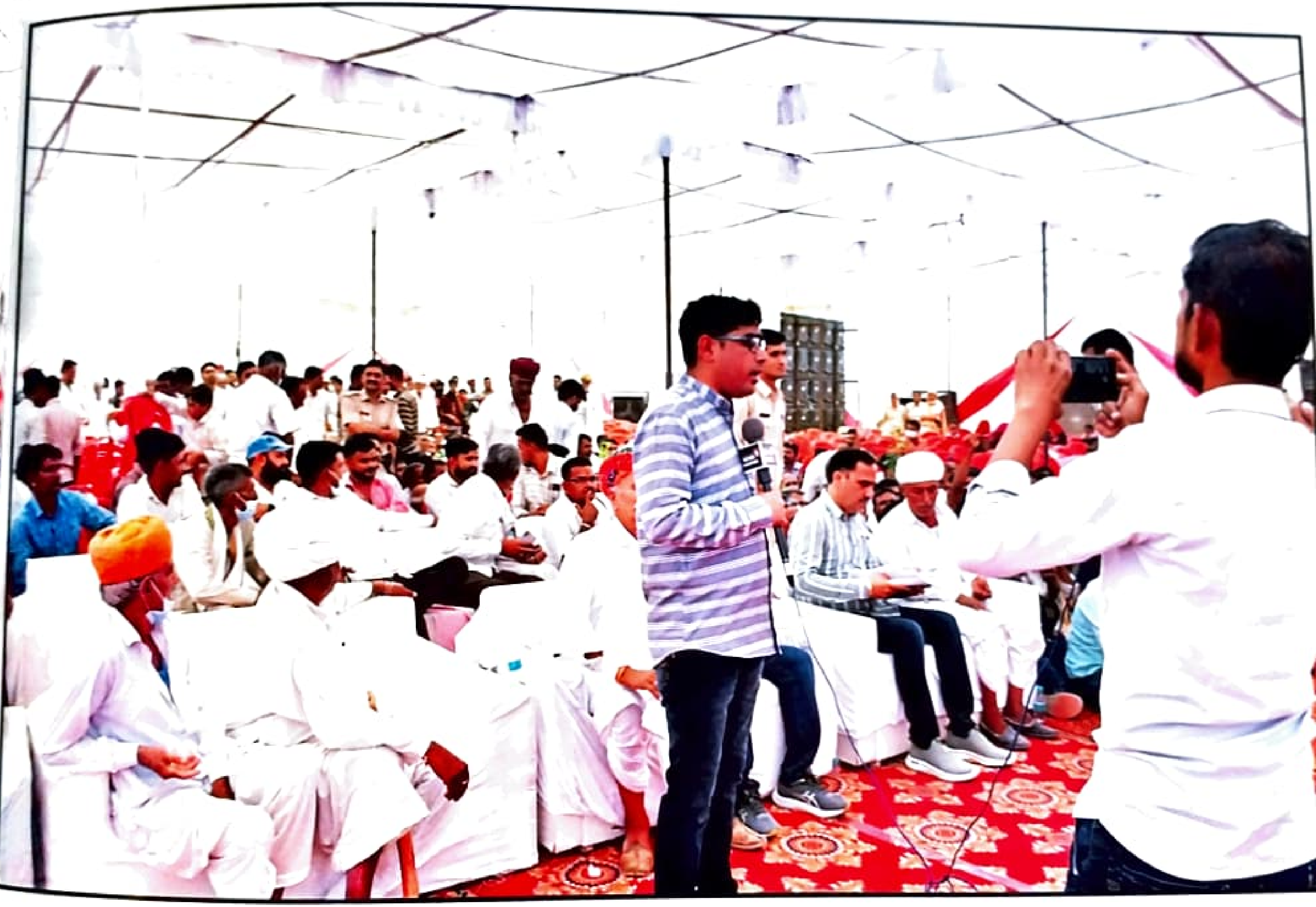

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
हेतु पर्यावरणीय लोक सुनवाई में आपका

292745 घन मीटर (0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष- एम.टी.पी.ए.), क्रशर क्षमता 1000 टन
वर्ष (एम.टी.पी.ए.)
उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए., खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर
सुनवाई में
करता है।
10

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए. , खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर
स्वागत करता है।
के सामने खुले मैदान में, गाँव बेरावास
आयोजक :
क्षेत्रीय कार्यालय
नियंत्रण मण्डल,
(राजस्थान)

लोक सुनवाई में
हार्दिक स्वागत करता है।
उच्च माध्यमिक
के सामने
गाँव
प्रदूषण नियंत्रण
नागौर

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

राजस्थान राज्य
दिनांक 26/08/2021 और संशोधित 20/09/2021
0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष एम.टी.पी.ए.
अधिकतम उत्पादन 10.0 एम.टी.पी.ए.
2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.)
पर्यावरणीय लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत करता है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेंगावास के सामने खुले मैदान में
खींवसर, जिला नागौर (राजस्थान
11
10

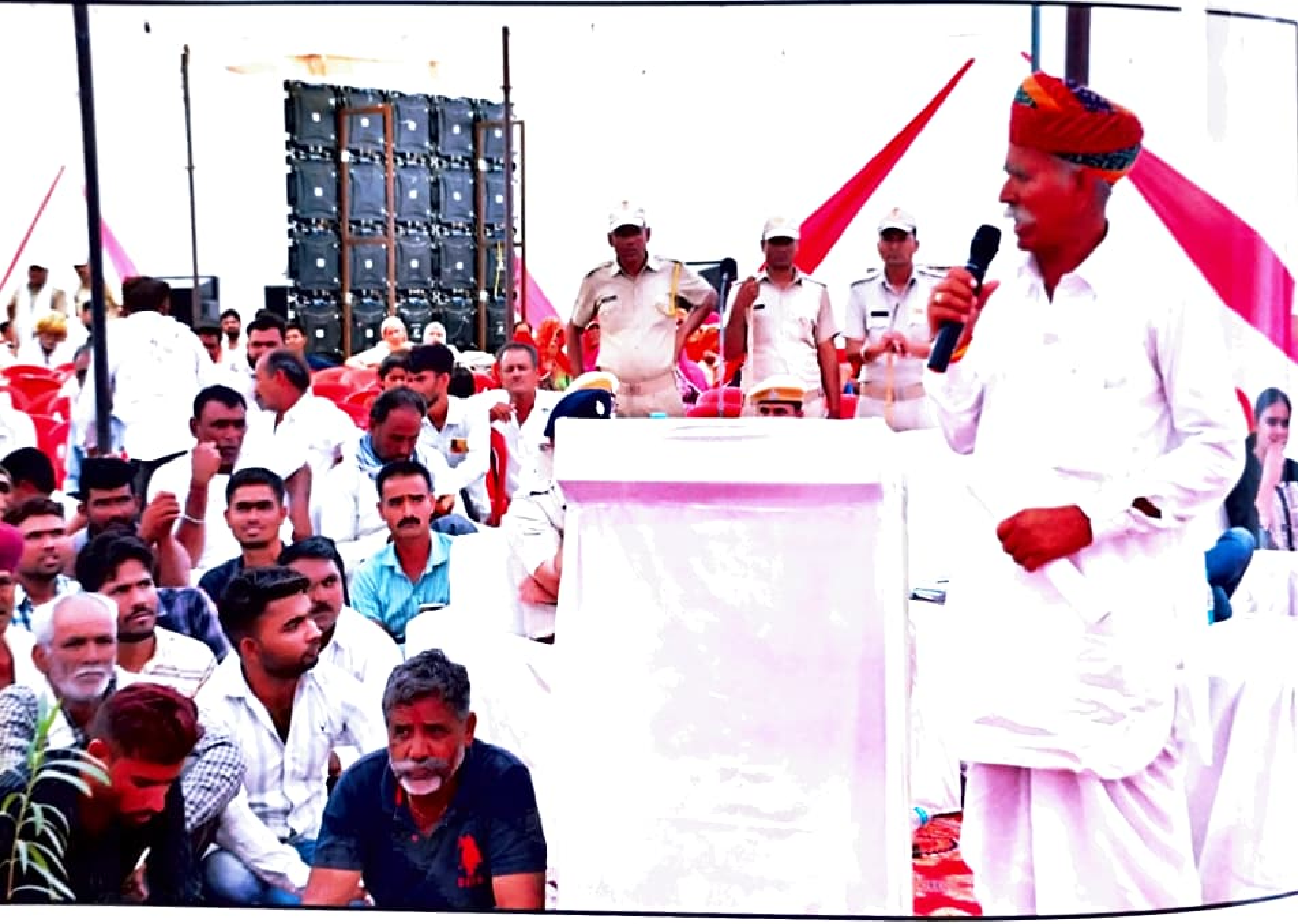

Rajasthan State Pollution
खनन पट्टा
1000 टन
क्षेत्र के भीतर

राजस्थान
20/09/2021), खनन पट्टा
क्रशर क्षमता 1000 टन
खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर
आयोजक

प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना
क्षेत्र 423.97 हेक्टेयर की प्रस्तावित
प्रति घंटा (टी.पी.एच.) , सामान्य
जन सुनवाई का स्थान-
दिनांक - 18/05/2023, शुक्रवार
समय - सुबह 11:00 बजे

राजस्थान राज्य
मण्डल

Rajasthan State Pollution Control Board

Welcomes

To The Public Hearing for Environmental Clearance of

M/s Hansdeep Industries and Trading Company Limited (A Subsidiary of JK Lakshmi Cement Limited)

Tadawas Limestone Mine Area Block- 4G-II-a, located at near villages Tadawas, Berawas, Bhawanda and Khorwa, Tehsil- khimsar, Dist. Nagaur (Raj.)

Proposed Limestone Mining Project (LoI No. P.3 (2) Khan/ Group-2/2021 dt. 26/08/2021 and amended 20/09/2021), Mine Lease Area of 423.97 ha. with the proposed production capacity of OB/Waste 292745 m^3 (0.6 Million Tons Per Annum - MTPA), Crusher capacity 1000 Tons Per Hour (TPH) Production 2.0 million Tons Per Annum (MTPA) , Peak Production 10.0 MTPA within Mine Lease area

Public Hearing Location- Open Field village Berawas opposite to Government Higher Secondary School, Village Berawas Tehsil- Khimsar, District- Nagaur (Rajasthan)

Date- 18/05/2023, Thursday
Time- Morning 11:00 PM

Organized by
Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Nagaur (Raj.)

(1)

01/18/05/23.

दिनांक 18-05-2023

Public Hearing. 18/05/23

सेवामें

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
खींवसर

विषय :– ग्राम बैरावास –ताडावास में हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड को पर्यावरण संबंधी अनुमति नहीं प्रदान करने बाबत्।

प्रार्थीगण :– आम जनता ग्राम बैरावास –ताडावास तहसील खींवसर जिला नागौर।

महोदयजी,

आम जनता ग्राम बैरावास –ताडावास तहसील खींवसर जिला नागौर की ओर से निवेदन है कि ग्राम बैरावास –ताडावास में सीमेन्ट प्लांट के खनन के लिए हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड प्रस्तावित है। तथा इस कम्पनी द्वारा निलामी प्रकिया पूर्ण कर ली गई है। लेकिन अभी ग्राम पंचायत की अनापति एवं पर्यावरण विभाग की अनापति जारी होनी शेष है। तथा प्रस्तावित इस ब्लॉक में ग्राम बैरावास में निजी 17 कृषि विद्युतिकृत नलकूप है तथा ग्राम ताडावास में भी 17 निजी कृषि विद्युतिकृत नलकूप है। दोनो गांवो में 10 कटाणी रास्ते है। दोनो गांवों मे पालतू गौवंश 3000 से अधिक है तथा आवारा गौवंश 1000 से अधिक है। तथा ग्राम बैरावास में स्थित गौशाला में 300 से अधिक गौवंश पंजीकृत है। तथा दोनो गांवो में 4000 से अधिक पालतू भेड़ बकरियां व 1000 से अधिक पालतू भैंसे है। तथा दोनो गांवों में प्रस्तावित ब्लॉक 100000 से अधिक खेजड़ी वृक्ष 20,000 से अधिक नीम के वृक्ष 10,000 से अधिक केर के वृक्ष व 10,000 से अधिक बबूल के वृक्ष है। तथा अन्य कई पेड़ पौधे है। तथा दोनो गांवों में 135.90 हैक्टेयर गौचर भूमि व 200.38 हैक्टेयर निजी खातेदारी की भूमि है। अगर प्रस्तावित ब्लॉक हंसदीप इण्डरस्ट्रीज द्वारा खनन किया जावेगा तो इतने सारे लोगों पेड़ों व पशुओं का जीवन संकट में पड़ जायेगा। एवं यहां के पर्यावरण को लेकर भारी नुकसान पहुँचेगां तथा इतने पेड़–पौधों नष्ट हो जायेगें। तथा ग्राम बैरावास–ताडावास की गोचर भूमि के एवज में भूमि बहुत दूर ली जा रही है। जो कि स्थानीय लोगो एवं पशुधन के कोई काम की नहीं है। तथा प्रस्तावित ब्लॉक में आई भूमि का किसानों को मुआवजा भी बहुत कम दिया जा रहा है। तथा किसानों का मुख्य कार्य कृषि व पशुपालन है। अगर प्रस्तावित भूमि अवाप्त कर ली गई तो आम किसान को जीवनयापन करना मुश्किल हो जावेगा । तथा पर्यावरण प्रदूषण से आस–पास के गॉवों के लोगों का जीना भी दुर्भर हो जायेगा। तथा पर्यावरण प्रदूषण से आसपास के गांवों की वनस्पति भी नष्ट हो जायेगी। हंसदीप इण्डस्ट्रीज को पर्यावरण से

P.T.O.

संबंधित अनापति देने से दोनो गांवो एवं आस पास के गांवों को पर्यावरण संबंधित बहुत नुकसान होगा। इसलिए हंसदीप इण्डस्ट्रीज को पर्यावरण संबंधित अनापति नहीं देने में ही आम लोगों पशुधन जीव जन्तु एवं वनस्पति जगत की भलाई हैं । नहीं तो सब कुछ उजड़ जायेगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बैरावास–ताडावास क्षेत्र में सीमेंट व चूना पत्थर के खनन हेतु प्रस्तावित हंसदीप इण्डस्ट्रीज एवं ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड को पर्यावरण की मंजूरी नहीं देने की कृपा करावें। इसमें दोनो गांवों के ग्रामवासियों को पूर्ण आपति है।

P.T.O.

चौधरी

रामनिवास

तेजाराम महिपाल शालिगराम

अनिल

छोटाराम अनाराम

गिरधारीराम

रामनारायण

राकेश

मेहराम

कालूराम खींवन

मेहराम

रामप्रसाद रामनिवास

भूराराम

यशपाल

लालाराम

लिखमाराम

शिवप्रकाश भंवराराम

रामनिवास

ओमप्रकाश उमाराम

हरीराम

पुखाराम

मोहनराम सीताराम

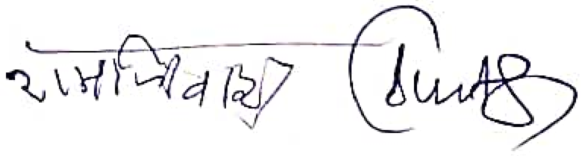

②

Recd. dt. 18.05.2023

सेवामें

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल - नागौर

विषय :– ग्राम बैरावास –ताडावास में हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड को पर्यावरण संबंधी अनुमति नहीं प्रदान करने बाबत्।

प्रार्थीगण :– आम जनता ग्राम बैरावास –ताडावास तहसील खींवसर जिला नागौर।

महोदयजी,

आम जनता ग्राम बैरावास –ताडावास तहसील खींवसर जिला नागौर की ओर से निवेदन है कि ग्राम बैरावास –ताडावास में सीमेन्ट प्लांट के खनन के लिए हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड प्रस्तावित है। तथा इस कम्पनी द्वारा निलामी प्रकिया पूर्ण कर ली गई है। लेकिन अभी ग्राम पंचायत की अनापति एवं पर्यावरण विभाग की अनापति जारी होनी शेष है। तथा प्रस्तावित इस ब्लॉक में ग्राम बैरावास में निजी 17 कृषि विद्युतिकृत नलकूप है तथा ग्राम ताडावास में भी 17 निजी कृषि विद्युतिकृत नलकूप है। दोनो गांवो में 10 कटाणी रास्ते है। दोनो गांवों मे पालतू गौवंश 3000 से अधिक है तथा आवारा गौवंश 1000 से अधिक है। तथा ग्राम बैरावास में स्थित गौशाला में 300 से अधिक गौवंश पंजीकृत है। तथा दोनो गांवो में 4000 से अधिक पालतू भेड़ बकरियां व 1000 से अधिक पालतू भैंसे है। तथा दोनो गांवों में प्रस्तावित ब्लॉक 200000 से अधिक खेजड़ी वृक्ष 20,000 से अधिक नीम के वृक्ष 10,000 से अधिक केर के वृक्ष व 10,000 से अधिक बबूल के वृक्ष है। तथा अन्य कई पेड़ पौधे है। तथा दोनो गांवों में 135.90 हैक्टेयर गौचर भूमि व 200.38 हैक्टेयर निजी खातेदारी की भूमि है। अगर प्रस्तावित ब्लॉक हंसदीप इण्डस्ट्रीज द्वारा खनन किया जावेगा तो इतने सारे लोगों पेड़ों व पशुओं का जीवन संकट में पड़ जायेगा। एवं यहां के पर्यावरण को लेकर भारी नुकसान पहुँचेगां तथा इतने पेड़–पौधों नष्ट हो जायेगें। तथा ग्राम बैरावास–ताडावास की गोचर भूमि के एवज में भूमि बहुत दूर ली जा रही है। जो कि स्थानीय लोगो एवं पशुधन के कोई काम की नहीं है। तथा प्रस्तावित ब्लॉक में आई भूमि का किसानों को मुआवजा भी बहुत कम दिया जा रहा है। तथा किसानों का मुख्य कार्य कृषि व पशुपालन है। अगर प्रस्तावित भूमि अवाप्त कर ली गई तो आम किसान को जीवनयापन करना मुश्किल हो जावेगा । तथा पर्यावरण प्रदूषण से आस–पास के गॉवों के लोगों का जीना भी दुर्भर हो जायेगा। तथा पर्यावरण प्रदूषण से आसपास के गांवों की वनस्पति भी नष्ट हो जायेगी। हंसदीप इण्डस्ट्रीज को पर्यावरण से

P.T.O.

संबंधित अनापति देने से दोनो गांवो एवं आस पास के गांवों को पर्यावरण संबंधित बहुत नुकसान होगा। इसलिए हंसदीप इण्डस्ट्रीज को पर्यावरण संबंधित अनापति नहीं देने में ही आम लोगों पशुधन जीव जन्तु एवं वनस्पति जगत की भलाई हैं । नहीं तो सब कुछ उजड़ जायेगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बैरावास–ताडावास क्षेत्र में सीमेंट व चूना पत्थर के खनन हेतु प्रस्तावित हंसदीप इण्डस्ट्रीज एवं ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड को पर्यावरण की मंजूरी नहीं देने की कृपा करावें। इसमें दोनो गांवों के ग्रामवासियों को पूर्ण आपति है।

P.T.O.

धर्मेन्द्र

महिपाल

अनोपाराम

रामनिवास

राधाकिशन

अनिल

किशोराम

हीराराम

रुघनाथ

रामनारायण

कुमाराराम

मोहनराम

रामनिवास

कालूराम

रामस्वरूप

यशपाल

भंवरसिंह

लक्ष्मणराम

भोलाराम

सुखराम

पुखाराम

शिवप्रकाश

पाचाराम

लालाराम

रामदेव

रामनिवास

उमाराम

उमाराम

हरीराम

सीताराम

बाबूलाल

मोहनराम

रामनिवास

सेवा में,

Public Hearing Ind.

(3)

क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जी,
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर

18/05/23

विषय :- जनसुनाई में आपत्ति दर्ज करने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि सीमेंट कम्पनी की जनसुनवाई मे आपत्तियां दर्ज करने बाबत।

(1) आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार से संबंधित पॉलिसी बताने का कष्ट करें।

(2) प्रदूषण को बचाने के लिये कम्पनी के द्वारा किया किया बचाव हेतु उपाय किये जायेंगे।

(3) लीज के आस पास बीच में है जोहड़ गोचर-ओरण सरकारी उसको सही से जो उच्च अधिकारियों के बताने का कष्ट करें।

(4) कम्पनी की CSR पॉलिसी के दौरान क्या-क्या कार्य करवाये जायेंगे। जिसकी जानकारी हमे प्रदान करावें।

(5) बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी उनसे संबंधित कम्पनी की पॉलिसी क्या बनाई गई उसको बताने का कष्ट करें।

(6) किसानों के हित की क्या पॉलिसी बनाई गई है वह सबको बताने का कष्ट करें।

भवदीय
सुरजाराम इति
mob - 9610406005

18/05/2023

4
13/05/20
Public hear
18/05/20

सेवा में

श्रीमान जिला कलेक्टर अधिकारी

नागौर राज

विषय – ग्राम ताडावास व खनिज कम्पनी से समबिधित –

महोदयजी,

नम्र निवेदन है कि समस्त ग्राम वासी की तरफ से आपति है कि कंपनी जो हसदीप प्राईवेट कंपनी ने ताडावास कें ग्राम के लोगो को परेशान करके जमीन खरीद रही है जैसे कि

1. प्राशनिक अधिकारी तहसीलदार पटवारी वगैह खनन करी हुई जमीन की रिजरट्री करके म्युटन कर रहे है।

2.हमारे गॉव में पॉच तालाब,नाडी और अगौर आदी है।

3. गॉव की आबादी व मन्दिर व शमशान ओर दो स्कूल से दो किलोमीटर तक खनन व माईन्स नही होनी चाहिए और गॉव के पुरे सार्वजनिक मार्ग कागजो में नही है। पुरे खुले रहने चाहिए।

4. हमारे गॉव के खनिज व लाईम स्टोन है। जो सही व अच्छी मात्रा में है।

5. ग्राम पचायत व ग्राम सभा का प्रस्ताव कंपनी के खिलाफ होने के बावजूद कपनी कें ऐजेड ग्राम में सार्वजनिक दबाव तरीके से लोगो को गुमराह कर रही है।

6. हमारे गॉव के जमीन के 50 लाख खनिज है। वह अपनी मर्जी से 8 लाख में खरीद रही हे।

7. कम्पनी के चार पांच एजेड रखे हुए हे।जिसमें कम्पनी 4 प्रतिशत कमीशन दे रही हे।32000 रूप्ये बीधा से जिसमें राजकिय व एजेड व

छोगनमनाथ हनुमान

मांगीलाल ओमप्रकाश

[signature] परसाराम दिनेश कुण्डल

जगाराम

राजाराम

रामचन्द्र प्रजापत किशनराम

लालाराम

लखमसिंह

रामकुमार

ओमप्रकाश

रामप्रसाद

भगवान नारायण

मोहनराम

कम्पनी का मनेजर सामिल है छोटे एजेडो को 2000 रूप्ये प्रति बीघा का दे रही है।

8. वन विभाग की जमीन भी कम्पनी लेना चाहती है। सरकार भी देने के लिए के तैयार है। इससे हमारा निवेदन है कि वन विभाग को पुरे राजस्थान सरकार बन्द करके कम्पनियो को देनी चाहेती हे।

9. कम्पनी सारा काम बाहर के आदमियो से करवानी चाहती हे।

10. गॉव वालो को झुठा आसवासन दे रही है। और सभी को रोजगार देगी।

11. हमारे गॉव में लगभग 50 चुने के भटे है। जो जिसमें सभी बेरोजगार हो जायेगे। अत कम्पनी को निरस्त करे ।

समस्त ग्राम वासी

NathRaj Sharma
18/05/2023

भोलाराम

(5)

P. Kumar
[illegible] 18/08/15

श्रीमान

प्रभारी अधिकारी / व्यवस्थापक महोदय
a.b. - ~~लक्ष्मी कम्पनी~~ - हेल्दीफ

विषय :- किसानो को जमीन के बदले किसानों की सुविधा निश्चित करने बाबत.

महोदय जी आपसे अनुरोध है कि ऐसा ध्यान आया है कि आपको कम्पनी द्वारा किसानों की जमीन खरीदने को केन्द्र / राज्य सरकार से सहमति प्राप्त कर ली गयी होगी और अब आप किसानों का मनु रंजन का साधन बनाया है क्योंकि सरकार को तो अपने धन चंगुल में फसा लिया है और अब किसानों को अर्थ-परिवार की जरूरत छीन कर उनके साथ बड़ा अन्याय करने जा रहे है, और लो भी लेंगे क्योंकि सरकार को तो अपने पक्ष में कर ली है, अब रही बात जमीन तो आप चैन करके प्रकरण ले ही लेंगे मगर कुछ तो भला सोचिये

(1) अगर आप जमीन खरीदते है तो पहले यह निश्चित करें कि प्रत्येक किसान परिवार के सदस्य को नौकरी पर रखा जाय तथा यह निश्चित किया जाय कि सरकारी जो मिलने वाला फायदा देना तय करे अन्यथा किसान की मर्जी के खिलाफ न खरीदें, किसान के साथ अन्याय नहीं किया जाय, अपने हित के लिये किसान एवं उनके बच्चों का गला मत घोटिये।
किसानो की सहमति लेना अतिआवश्यक

आखा खिलवाड़ी मत करना।
अब एक सवाल नौकरी का है जैसा कि सरकार के उसी अनुसार ही है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार से नौकरी रखा जावे और समय अनुसार वेतन भत्ता दिया जावे।
अब आप कृपया किसानों के बच्चों की आने वाली पीढ़ी का क्या होगा और किस लोक का विवाह होगा आप अन्तर ध्यान से सोचिये।
कृपया उपरोक्त बिन्दुओं को आप लिखित में दिखावे तो उचित रहेगा। गोचर भूमि को गौ माता के लिए (?) छोड़ा जावे।
भवदीय: ग्रामवासी
(हस्ताक्षर) डूंगरराम ...

(6)

प्रेषित,

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

नागौर (राज.)

P. Leaving

18/05/23

विषय - पर्यावरणीय लोक सुनवाई मे आपत्ती दर्ज करवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ताडावास, बैरावास, खोड़वा, भावण्डा के ग्रामीणो ने ज्ञापन प्रस्तुत करके खनन पट्टे के लिये पर्यावरणीय अनापत्ति के सम्बन्ध मे आयोजित जनसुनवाई मे कई मुददो की तरफ ध्यान आकर्षित किया है जो वास्तव मे ही अत्यन्त गम्भीर मुददे है, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

① खनन पट्टे में वन भूमि के साथ-साथ तालाबों का कैचमेंट एरिया भी शामिल है जहां से तालाबों मे पानी आता है।

② रिपोर्ट मे पूरे माइनिंग क्षेत्र मे मात्र 47 लोगो के रोजगार की बात कही है जो न्यायोचित नही हैं, जबकि जिन किसानो की भूमि का अधिग्रहण किया है उन किसानो के प्रत्येक घर से कम से कम एक नागरिक को रोजगार की गारंटी दी जावे।

③ प्लांट में सैंकडो बीघा गोचर भूमि शामिल है ऐसे मे कम्पनी यह तय करे कि इस गोचर भूमि की क्षतिपूर्ती हेतु इसी ग्राम मे भूमि उपलब्ध करवाये, ताकि यहां का गौवंश जो काफी तादाद में मौजूद है वो जीवित रह सके।

④ प्लांट में किसानो की जमीनें औने पौने दामो पर ली जा रही है उसके लिए कमेटी बनाकर जमीन की उचित दर तय की जावे।

अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओ को ध्यान मे रखते हुवे जब तक इन बिन्दुओ की पूर्ती रिपोर्ट मे नही की जाती तब तक अनापत्ति देना उचित नही होगा, उपरोक्त बिन्दुओ को शामिल करके नयी रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

भवदीय,

(नारायण बेनीवाल)
विधायक खींवसर

18/5/23

130
30/05/23

Bhumika
05/06/23
AEE

सेवा मे,

श्रीमान क्षैत्रिय अधिकारी महोदय

राजरथान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

नागौर राजरथान

विषय :– पर्यारण स्वीकृति नही देने बाबत

मान्यवर ,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैसर्स हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी एवंज के लक्ष्मी निकट ताडावास,बेरावास , भांवण्डा एवं बोडवा की आके विभाग से चाही गयी पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई सुझाव व आपत्ती के लिए लोक जन सुनवाई रखी गयी जिसमे गांव वालो ने भारी विरोध किया तथा कम्पनी को एन ओ सी जारी नही करने का निवेदन किया है । क्योकि

1. यह है कि कम्पनी ने गलत मेनिफेस्टो पेश किया है।
2. यह है कि सैकडो हैक्टयेर की सिंचित कृषि भूमि बंजर हो जायेगी
3. यह है कि किसान के जीवन यापन व आय स्त्रोत पशुपालन लगभग 10000 दस हजार संख्या भेड,बकरी गाय भेंस इत्यादी दुधारू पशुओ व वन्य जीव जो की गोचर अंगोर भूमि है उनकी घास नष्ट हो जायेगी ।
4. हजारो की संख्या मे खेजडी कैर आदि पेड पोधे नष्ट हो जायेगे।
5. आस पडोस के 10 किलोमीटर एरिया इस प्रदूषण का प्रभाव पडेगा।
6. वन्य जीव व मानव को अन्तिम रूप से पलायन करना होगा।
7. कारखानो से निकलने वाली विशेली धुंआ व धूल और अपशिष्ट प्रदार्थो से मानव के पानी पीने एक मात्र स्त्रोत तालाब पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेगे।

इस प्रदूषण से तरह तरह की असंख्य विमारी से ग्रसित होगें

इन सभी को ध्यान मेच रखकर आपसे निवेदन है कि उक्त कम्पनी को अर्थात परियोजना की अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी नही किया जावे।

(ओमप्रकाश)

ग्रामवासी
ताडवास,बेरावास, भावण्डा, खोडवा
व अन्य गांव

(रामचन्द्र गोदारा)

Dinesh Godara

संलग्न कॉपी

① पटवारी रिपोर्ट - सिंचित, असिंचित कृषि । ④ ग्राम पंचायत बेरावास प्रस्ताव संलग्न
③ ग्राम पं. सरपंच प्रदूषण आपत्ति → ग्राम पंचायत बेरावास, ग्राम पंचायत डेह, ग्राम पंचायत लालावास
ग्राम पंचायत खींवसर, ग्राम पंचायत माणकपुर
ग्राम पंचायत ललाप, ग्राम पंचायत भावण्डा
④ वन विभाग जमीन नकल
⑤ उपखण्ड अधिकारी खींवसर ज्ञापन Received Copy

पटवार मण्डल ताडावास के राजस्व ग्राम ताडावास व बेरावास में सम्वत् 2079 मौसम रबी के अन्तर्गत आने वाली सिंचित भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल निम्न प्रकार है।

ताडावास के अनुमानित आँकड़े – 111.21 हेक्टेयर

बेरावास के अनुमानित आँकड़े – 368.59 हेक्टेयर

[signature]
29/5/23

पुखराज शर्मा
पटवारी(भू-अ.)
प.म. ताडावास
तह. खींवसर (नागौर)

कार्यालय ग्राम पंचायत, बैरावास

पंचायत समिति खींवसर, जिला नागौर (राज.)

मूलाराम नायक
सरपंच
ग्राम पंचायत-बैरावास, खींवसर

मो. 8852985612, [illegible]

क्रमांक - ग्रापं.बै./2022-23/51

दिनांक 06.10.2022

प्रस्ताव प्रतिलिपि

ग्राम सभा बैठक दिनांक :- 06.10.2022 प्रस्ताव सं. - 01

प्रस्ताव सं :- 01. सदन में कोरम के समक्ष अध्यक्ष श्री मूलाराम ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत बैरावास के राजस्व ग्राम बैरावास एवं नाडावास में स्थित लाइमस्टोन ब्लॉक 4G I-A जिला-नागौर का आंवटन खनिज निदेशालय, उदयपुर द्वारा इस लाइमस्टोन ब्लॉक का आवंटन बोली द्वारा जे० के० लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एवं हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कंपनी को आंवटन हुआ है। उक्त लाइमस्टोन ब्लॉक में राजस्व ग्राम बैरावास की 135.8944 हेक्टयर भूमि एवं राजस्व ग्राम नाडावास की 123.0330 हेक्टयर भूमि गोचर किस्म की भूमि है। उक्त दोनों राजस्व ग्रामों की गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु जे०के० लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एवं हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कंपनी को नियमानुसार अनापत्ति दी जानी है।

इस पर कोरम ने गहन विचार-विमर्श किया एवं भविष्य में गौवंश के चारा-पानी की व्यवस्था, ग्राम के स्थित पेयजल स्रोतों यथा नाडी, तालाब आदि को बनाए रखना सभी की नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है। इस हेतु राजस्व ग्राम बैरावास एवं नाडावास में जो गोचर भूमि 4G I-A लाइमस्टोन ब्लॉक के अधीन आ रही है उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित राजस्व ग्रामों बैरावास एवं नाडावास में ही संबंधित कंपनियों जे०के० लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एवं हंसदीप इंडस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कंपनी अपने स्वयं के स्तर पर काश्तकारों से खरीद कर दोनों राजस्व ग्रामों बैरावास एवं नाडावास में स्थित गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति की जावे एवं ग्राम पंचायत के उक्त दोनों राजस्व ग्रामों से बाहर गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति नहीं की जावे का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया एवं इस प्रस्ताव पर सदन में उपस्थित सदस्यों में से किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बैरावास

सरपंच
ग्राम पंचायत बैरावास
पं.स. खींवसर (नागौर)

राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत, डेहरू

पंचायत समिति : खींवसर, जिला : नागौर (राज.)

Mob. : 9784430451

उगराराम धोलिया

सरपंच

ग्राम पंचायत : डेहरू, (खीवसर) नागौर

दिनांक ....

क्रमांक

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर

मान्यवर, मैं: हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताडावास बेरावास, भावण्डा एवं खोड़वा की आपके विभाग से चाही गई पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सुनवाई सुझाव व आपत्ति के लिए लोक जनसुनवाई रखी गई। जिसके अनुरूप ग्राम पंचायत डेहरू इस परियोजना की सीमा-वर्ती ग्राम पंचायत की जल, थल व वायु, कृषि को प्रभावित कर आम-जन व पशुपालन के आक्षेप इस प्रकार है।

(1) सैकड़ो हैक्टेयर की सिंचित कृषि भूमि बंजर हो जाएगी।

(2) किसान के जीवनयापन व आय स्त्रोत पशुपालन में लगभग 12000 (बारह हजार) की संख्या में भेड़ बकरी, गाय भैंस इत्यादि दुधारू पशुओ जो कि गोचर ओरण भूमि है उनकी घास नष्ट हो जाएगी।

(3) हजारों की संख्या में खेजड़ी जैसे पेड़ पौधे नष्ट होंगे।

(4) वन्य जीव व मानव को अन्तिम रूप से पलायन करना होगा।

(5) कारखानों से निकलती विषैली धुआं व धूल और अपशिष्ट पदार्थो से मानव के पानी पीने का एकमात्र स्त्रोत तालाब पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेगें।

इस प्रदूषण से तरहतरह की असंख्य बीमारीयों से ग्रसित होंगे।

इन सभी को ध्यान में रखकर आपसे निवेदन है कि उक्त कम्पनी को अर्थात परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए।

उगाराम
सरपंच
ग्राम पंचायत, डेहरू
पं०स० खींवसर (नागौर)

राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत, डेहरू

पंचायत समिति : खींवसर, जिला : नागौर (राज.)

उगराराम धोलिया

सरपंच

ग्राम पंचायत : डेहरू, (खींवसर) नागौर

Mob. : 9784430451

क्रमांक दिनांक ....

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर

मान्यवर, मैं हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताडावास बेरावास, भावण्डा एवं खोड़वा की आपके विभाग से चाही गई पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सुनवाई सुझाव व आपत्ति के लिए लोक जनसुनवाई रखी गई। जिसके अनुरूप ग्राम पंचायत डेहरू इस परियोजना की सीमा-वर्ती ग्राम पंचायत की जल, थल व वायु, कृषि को प्रभावित कर आम-जन व पशुपालन के आके इस प्रकार है।

(1) सैकड़ो हेक्टेयर की सिंचित कृषि भूमि बंजर हो जाएगी।

(2) किसान के जीवनयापन व आय स्त्रोत पशुपालन में लगभग 12000 (बारह हजार) की संख्या में भेड़ बकरी, गाय भैंस इत्यादि दुधारू पशुओ जो कि गोचर अंगोर भूमि है उनकी घास नष्ट हो जाएगी।

(3) हजारों की संख्या में खेजड़ी जैसे पेड़ पौधे नष्ट होंगे।

(4) वन्य जीव व मानव को अन्तिम रूप से पलायन करना होगा।

(5) कारखानों से निकलती विषैली धुंआ व धूल और अपशिष्ट पदार्थो से मानव के पानी पीने का एकमात्र स्त्रोत तालाब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाऐंगे।

इस प्रदूषण से तरहतरह की असंख्य बीमारीयों से ग्रसित होंगे।

इन सभी को ध्यान में रखकर आपसे निवेदन है कि उक्त कम्पनी को अर्थात परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए।

उगराराम

सरपंच
ग्राम पंचायत, डेहरू
पं०स० खींवसर (नागौर)

कार्यालय ग्राम पंचायत, लालावास

पंचायत समिति, खींवसर, जिला-नागौर (राज.)

मन्जू
सरपंच, लालावास

9461022462
9929737676
9636515754

क्रमांक : ... दिनांक : ....

श्री क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, (नागौर)

विषय - मैं. सदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट लाडनास, बेरावास, आवेड़ एवं खोड़वा तह. खींवसर (नागौर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में आपत्ति दर्ज करवाने बाबत

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दि. 18-5-2023 को उक्त कम्पनी की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनींग परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रा. उ. मा. विद्यालय बैरावास के खेल मैदान में लोक जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रा.प. लालावास को सुनवाई, सुझाव व आपत्ति हेतु आमंत्रित नहीं किया गया जबकी इतनी बड़े स्तर के कारखाने द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद यथा ठोस उत्पाद, धुआं एवं अपशिष्ट पदार्थ, प्रदूषित जल, विषैली गैसे, धूल, राख धुंआ इत्यादि कारखाने के सीमावर्ती क्षेत्र में जल, थल तथा वायु प्रदूषण में मुख्य कारक है इस माइनिंग परियोजना से स्वचालित तौर से ग्राम प. लालावास में सैकड़ो हेक्टर में किसानों की ट्युबवेल व फसल पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा आवश्यक कारक व वायु का प्रदूषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जायेगी जो कि इस क्षेत्र में पहले से ही प्रयाप्त पेड़ नहीं है वन्य जीव व किसानों के आय स्रोत व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेगा। क्षेत्र की आम जनता के पानी पिने का एक मात्र स्रोत तालाब, ओरण (लगभग 300 हे.) प्रदूषण से पीने योग्य पानी नहीं रहेगा। इस तरह के प्रदूषण से क्षेत्र की आम जनता का पलायन करना या लेबर मजदूर कर देना ही अंतिम उपाय होगा जो मूल अधिकारो का हनन है व इस नियम को शर्मसार करने वाला रूप प्रतित होता है। कृपया करके निवेदन है कि उक्त कारखानो को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी जाये उचित है

मन्जू
सरपंच
ग्राम पंचायत लालावास
प. स. खींवसर (नागौर)

कार्यालय ग्राम पंचायत, लालावास

पंचायत समिति, खींवसर, जिला-नागौर (राज.)

मन्जू
सरपंच, लालावास

9461022462
9929737676
9636515754

क्रमांक : ... दिनांक : ....

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर

मान्यवर,

मैं हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताडावास कोरावाल, भावण्डा एवं खोड़वा की आपके विभाग से चाही गई पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सुनवाई सुझाव व आपत्ति के लिए लोक जनसुनवाई रखी गई। जिसके अनुरूप ग्राम पंचायत लालावास हल परियोजना की सीमवर्ती ग्राम पंचायत की जल, थल व वायु, कृषि को प्रभावित कर आम-जन व पशुपालन के आंकड़े इस प्रकार है।

(1) सैकड़ो हैक्टेयर की सिंचित कृषि भूमि बंजर हो जाएगी
(2) किसान के जीवनयापन व आय स्रोत पशुपालन में लगभग 10000 (दस हजार) की संख्या में भेड़, गाय भैंस इत्यादि दुधारू पशुओं जो कि गोचर अंगोर भूमि है उनकी घास नष्ट हो जाएगी।
(3) हजारों की संख्या में खेजड़ी जैसे पेड़ पौधे नष्ट होंगे।
(4) वन्य जीव व मानव को अनिश्चित रूप से पलायन करना होगा।
(5) कारखानों से निकलती विषैली धुंआ व धूल और अपशिष्ट पदार्थों से मानव के पानी पीने का एकमात्र स्रोत तालाब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा।

इस प्रदूषण से तरह-2 की असंख्य बीमारियों से ग्रसित होंगे।
इन सभी को ध्यान में रखकर आपसे निवेदन है कि उक्त कम्पनी को अवैध परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना उचित है।

मंजू
सरपंच
ग्राम पंचायत लालावास
पं.स. खींवसर (नागौर)

कार्यालय ग्राम पंचायत, बैरावास

पंचायत समिति-खींवसर, जिला-नागौर (राज.)

मूलाराम नायक
सरपंच
ग्राम पंचायत-बैरावास, खींवसर

मो. 8852985612, 6350281485

(1)

क्रमांक :

दिनांक ....

श्रीमान क्षैत्रीय अधिकारी महोदय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर

विषय:- मैं. हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट नाडावास, बैरावास, भावण्डा एवं खोड़वा तहसील खींवसर जिला नागौर के पर्यावरणीय स्वीकृति में आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

मान्यवर

उपर्युक्त विषयानुसार निवेदन है कि दिनांक 18-5-2023 को उक्त कम्पनी की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनिंग परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रा.उ.मा. विधालय बेरावास के खेल मैदान में लोक जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बेरावास को सुनवाई सुझाव व आपत्ति पूर्ण से है जबकी इतने बड़े स्तर के कारखानो द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद यथा गौण उत्पाद धुंआ एवं अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषित जल विषैली गैसें तथा वायु प्रदूषण के मुख्य कारक है इस माइनिंग परियोजना से स्वभाविक तौर से ग्रा०पं० बेरावास की सैकड़ो हैक्टेयर में

P.T.O

किसानों की ट्यूबवैल व फसल पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा ऑक्सीजन कारक व वायु का प्रदूषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएगें जो कि इस क्षेत्र में पहले से ही प्रर्याप्त पेड़ पौधे नहीं है, वन्य जीव व किसानों के आयस्त्रोत व जीवन यापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। क्षेत्र की आम जनता के पानी पीने के एक मात्र स्त्रोत तालाब अंगोर लगभग (500) है प्रदूषण से पीने योग्य पानी नहीं रहेगा। इस तरह के प्रदूषण से क्षेत्र की आम जनता का पलायन करना या इसके मजबूर कर देना ही अंतिम उपाय होगा जो मूल अधिकारों का हनन है। व इंसानियत को शर्मसार करने वाला कृत्य प्रतीत होता है. कृपया करके निवेदन है, कि उक्त कारखाने को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी जावे

(मूलसिंह)
सरपंच
ग्राम पंचायत बैरावास
पं.स.जींवसर (नागौर)

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

ड़ लगाओ, जीवन बचाओ।।

।। श्री गणेशाय नमः।।

।।ॐ दाता तू ही ।।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।।

राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत, खींवसर

पंचायत समिति : खींवसर, जिला : नागौर (राज.)

प्रेषक :

श्रीमती राजू देवड़ा

सरपंच

Mob. : 9414864247, 9784223965

प्रेषित :-

श्रीमान्

क्रमांक

दिनांक

फैक्ट्री लगने से आस पास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे नष्ट हो जायेंगे तथा पहले से ही इस क्षेत्र में वन क्षेत्र व पेड़ पौधे बहुत कम है। जिससे पर्यावरण प्रदुषण बढ़ जायेगा। तथा पानी के स्त्रोत तालाब आदि में फैक्ट्री से जल प्रदुषण भी बढ़ेगा। इस तरह से प्रदुषण बढ़ने से खींवसर के आस पास के लोगों को मजबूरन पलायन करना ही अंतिम उपाय होगा जो कि मानव के मूल अधिकारों का हनन होगा। साथ ही क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने से मानवीय मूल्यों का शर्मशार करने वाला कृत्य प्रतीत हो रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त क्षेत्र में उपरोक्त कंपनी को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी जावे।

हस्ता.

(श्रीमती राजू)
सरपंच
ग्राम पंचायत खींवसर
प.स. खींवसर

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

...ड़ लगाओ, जीवन बचाओ।।

।। श्री गणेशाय नमः।।

।।ॐ दाता तू ही ।।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।।

राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत, खींवसर

पंचायत समिति : खींवसर, जिला : नागौर (राज.)

प्रेषक :

श्रीमती राजू देवड़ा

सरपंच

Mob. : 9414864247, 9784223965

प्रेषित :-

श्रीमान्

क्रमांक

दिनांक

फैक्ट्री लगने से आस पास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे नष्ट हो जायेंगे तथा पहले से ही इस क्षेत्र में वन क्षेत्र व पेड़ पौधे बहुत कम है। जिससे पर्यावरण प्रदुषण बढ जायेगा। तथा पानी के स्त्रोत तालाब आदि में फैक्ट्री से जल प्रदुषण भी बढेगा। इस तरह से प्रदुषण बढने से खींवसर के आस पास के लोगों को मजबुरन पलायन करना ही अंतिम उपाय होगा जो कि मानव के मुल अधिकारों का हनन होगा। साथ ही क्षेत्र में फैक्ट्री लगने से मानवीय मुल्यों का शर्मशार करने वाला कृत्य प्रतीत हो रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त क्षेत्र में उपरोक्त कंपनी को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी जावे।

ह०

(श्रीमती राजू)
सरपंच
ग्राम पंचायत खींवसर
पं.स. खींवसर

र्यालय ग्राम पंचायत, माणकपुर

पंचायत समिति : मुण्डवा, जिला : नागौर (राज.)

भुवन सिंह
सरपंच

E-mail : tribhuvansingh1811@gmail.com
Mob. : 8094220121

क्रमांक SPL

दिनांक

श्री क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल, (नागौर)

विषय- मैं. हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताडावास, बेरावास, भावंडा एवं खोड़वा तह- खींवसर (नागौर के पर्यावरणीय स्वीकृति मे आपत्ति दर्ज करवाने बाबत।

मान्यवर,, उपर्युक्त विषयानुर्गत निवेदन है कि दि. 18-5-2023 व उक्त कम्पनी की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनींग परियोजना मे पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रा. उ. मा. विधालय बैरावास के खेल मैदान मे लोक जनसुनवाई कार्यक्रम मे ग्रा. प. माणकपुर को सुनवाई, सुझाव व आपत्ति हेतु आमंत्रित नही किया गया जबकी इतनी बडे स्तर के कारखानो द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद यथा ठोस उत्पाद धुआं एवं अपशिष्ट पदार्थ, प्रदुषित जल, विषैली गैस धूल, राख धुआं इत्यादि कारखाने के सीमावर्ती क्षेत्र मे जल, थल तथा वायु प्रदुषण के मुख्य कारक है। इस माइनिंग परियोजना से स्वभाविक तौर से ग्रा. प. माणकपुर की सैकडो हैक्टर मे किसानो की इमुबवेल व फसल पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा ऑक्सी कारक व वायु का प्रदुषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे जो कि इस क्षेत्र मे पहले से ही पर्याप्त पेड़ नहीं है वन्यजीव व किसानो के आयस्त्रोत व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। क्षेत्र की आम जनता के पान पिने के एक मात्र स्त्रोत तालाब, अंगोर (लगभग 500 है.) प्रदुषण से पीने योग्य पानी नही रहेगा। इस तरह के प्रदुषण से क्षेत्र की आम जनता का पलायन करना मजबुर कर देना ही अंतिम उपाय होगा जो मुल अधिकारो का हनन है व इसलिय को शर्मसार करने वाला कृत्य प्रतित होता है। कृपया करके निवेदन है कि उक्त कारखाने को पर्यावर्णीय स्वीकृति नही दी जावे।

(स्टाम्प:) सरपंच
ग्राम पंचायत, माणकपुर
मुण्डवा (नागौर)

संलग्न अनु. आंकडे. ....

र्यालय ग्राम पंचायत, माणकपुर

पंचायत समिति : मुण्डवा, जिला : नागौर (राज.)

भुवन सिंह
सरपंच

E-mail : tribhuvansingh1811@gmail.com
Mob. : 8094220121

क्रमांक SPL दिनांक ....

श्री क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल, (नागौर)

विषय - मैं. हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रैडिंग कम्पनी लिमिटेड निकट ताडावास, बेरावास, भावंडा एवं खोड़वा तह- खींवसर (नागौर के पर्यावरणीय स्वीकृति मे आपत्ति दर्ज करवाने बाबत्।

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयानुर्गत निवेदन है कि दि. 18-5-2023 व उक्त कम्पनी की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनींग परियोजना मे पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रा. उ. मा. विधालय बैरावास के खेल मैदान मे लोक जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्रा. प. माणकपुर को सुनवाई, सुझाव व आपत्ति हेतु आमंत्रित नही किया गया जबकी इतनी बडे स्तर के कारखानो द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद यथा ठोस उत्पाद, धुआं एवं अपशिष्ट पदार्थ, प्रदुषित जल, विषैली गैस धूल, राख धुआं इत्यादि कारखाने के सीमावर्ती क्षैत्र मे जल, थल तथा वायु प्रदुषण के मुख्य कारक है। इस माइनिंग परियोजना से स्वभाविक तौर से ग्रा. प. माणकपुर की सैकडो हैक्टर मे किसानो की ट्युबवैल व फसल पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा ऑक्सी कारक व वायु का प्रदुषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे जो कि इस क्षेत्र मे पहले से ही प्रर्याप्त पेड़ नही है वन्यजीव व किसानो के आयस्त्रोत व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। क्षेत्र की आम जनता के पान पिने के एक मात्र स्त्रोत तालाब, अंगोर (लगभग 500 है.) प्रदुषण से पीने योग्य पानी नही रहेगा। इस तरह के प्रदुषण से क्षेत्र की आम जनता का पलायन करना मजबूर कर देना ही अंतिम उपाय होगा जो मुल अधिकारो का हनन है व इसानिय को शर्मसार करने वाला दृश्य प्रतित होता है। कृपया करके निवेदन है कि उक्त कारखाने को पर्यावर्णीय स्वीकृति नही दी जावे।

(सील: सरपंच ग्राम पंचायत, माणकपुर मुण्डवा (नागौर))

संलग्न अनु. आंकडे. ....

र्यालय ग्राम पंचायत लालाप

वी
पंच

मोबाईल नम्बर
6375630340, 9772393104

ग्राम पंचायत
लालाप, पं.स.खींवसर
जिला - नागौर (राज.)

मांक

दिनांक......../......../20........

श्री क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

विषय :- मैं. हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड निकट ताडावास, बैरावास, भांवडा एवं लालाप तहसील खींवसर (नागौर) के पर्यावरण स्वीकृति मे आपत्ति दर्ज करवाने बाबत के।

मान्यवर !,

उपर्युक्त विषयानुसार निवेदन है की दि. 18.8.2023 को उक्त कंपनी की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनिंग परियोजना से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रा. उ. मा. विद्यालय बैरावास के खेल मैदान मे लोक जन-सुनवाई कार्यक्रम मे ग्रा. प. लालाप को सुनवाई सुझाव व आपत्ति हेतु आमंत्रित नही किया गया जबकि इतनी बड़े स्तर के कारखानो द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद तथा ठोस उत्पाद धुआं एवं अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषित जल, बिजली जैसे धूल राख धुआं इत्यादि कारखाने के आसपास क्षेत्र के जलथल व वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। इस माइनिंग परियोजना से स्वभाविक तौर से ग्रा. पं. लालाप की सैकड़ो हैक्टर भूमि के किसानो की ट्यूबवेल व फसल पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा कीटनाशक कारक, व वायु के प्रदूषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जायेगें जो कि इस क्षेत्र मे पहले से पर्याप्त पेड़ नही है। और वन्यजीव व स्थानीय आवागमन व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेगा। जैसे कि आम जनता के पानी पीने कि एकमात्र स्त्रोत तालाब जोहड़ (उगमणा) 400 हैक्टर है। प्रदूषण से पीने योग्य पानी नही रहेगा। इस तरह के प्रदूषण से क्षेत्र की आम जनता को पलायन करने पर मजबूर कर देगा जो कि आजीविका कमाने का मूल अधिकारो का हनन है। व इन्सानियत को शर्मसार करने वाला कृत्य प्रतीत होता है। कृपा करके निवेदन है कि उक्त कारखाने को पर्यावरणीय स्वीकृति नही दि जावे।

गुड्डी
सरपंच
ग्राम पंचायत लालाप
पं०स०खींवसर

[illegible]

र्यालय ग्राम पंचायत लालाप

वी
च

मोबाईल नम्बर
6376630340, 9772393104

ग्राम पंचायत
लालाप, पं.स.खींवसर
जिला - नागौर (राज.)

दिनांक........./........./20.........

ांक

श्री क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

विषय :- मैं. हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड निकट ताउसर; बैरावास, भोजड़ा एवं लालाप खेतोलाव तह. खींवसर (नागौर) के पर्यावरण स्वीकृति मे आपत्ति दर्ज करवाने बाबत् के।

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दि. 18.8.2023 को उक्त कंपनी की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनिंग परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रा. उ. मा. विद्यालय बैरावास के खेल मैदान के लोक जन-सुनवाई कार्यक्रम मे ग्रा.प. लालाप को सुनवाई सुझाव व आपत्ति हेतु आमंत्रित नहीं किया गया जबकी इतनी बड़े स्तर के कारखानो द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद तथा ठोस उत्पाद धुंआ एवं अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषित जल, बिजली जैसे धूल राख धुंआ इत्यादि कारखाने के आसपास क्षेत्र के जल वायु व वायु प्रदुषण के मुख्य कारण है। इस माइनिंग परियोजना से स्वाभाविक तौर से ग्रा.पं. लालाप को सैकड़ो हैक्टर भूमि के किसानो की ट्यूबेल व फसल पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा ऑक्सीजन कारक, वायु के प्रदुषण से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जायेंगे जो कि इस क्षेत्र के पहले से पर्याप्त पेड़ नहीं है। और जनजीवन व किसानो के आजीविका व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेगा। जनता के पानी पीने कि एक मात्र स्त्रोत तालाब भोजास (लगभग) 400 हैक्टर है। प्रदुषण से पीने योग्य पानी नहीं रहेगा। इस तरह के प्रदुषण से क्षेत्र की आम जनता को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा तथा जो मूल अधिकारों का हनन है। व इंसानियत को शर्मशार करने वाला कृत्य प्रतीत होता है। कृपा करके निवेदन है कि उक्त कारखाने को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दि जावे।

गुड्डी
सरपंच
ग्राम पंचायत लालाप
पं०स०खींवसर

लालाप हेतु आवेदन

कार्यालय - ग्राम पंचायत भावण्डा

पंचायत समिति, खींवसर (नागौर) राज.

क्रमांक :   दिनांक......................................

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर

विषय :- मैसर्स हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनि लिमिटेड निकट ताडावास, बैरावास, भावण्डा एवं खीडना तह. खींवसर जिला नागौर के पर्यावरणीय स्वीकृति में आपत्ति दर्ज करवाने बाबत ।

महोदय :-

उपयुक्त विषयानुसार निवेदन है कि दिनांक 18.08.23 को उक्त कम्पनि की प्रस्तावित लौह स्टील मारनिंग परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरावास के खेल मैदान में लोक जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम पंचायत भावण्डा को सुनवाई सुझाव व आपत्ति हेतु हमे पूर्ण रूप से आपत्ति है, इतने बड़े स्तर के कारखाने द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद तथा ठोस उत्पाद धुंआ एवं अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषित जल विषैली गैस धूल राख धुआं इत्यादि कारखाने के सीमावर्ती क्षेत्र में जलथल तथा वायु प्रदूषण मुख्य कारण है इस माईनिंग परियोजना से स्वाभाविक तौर से ग्राम पंचायत भावण्डा की सैकड़ो हैक्टर

कार्यालय - ग्राम पंचायत भावण्डा

पंचायत समिति, खींवसर (नागौर) राज.

क्रमांक :

दिनांक..

मैं किसानों की ट्यूबवैल व फसल पूर्ण रूप से नष्ट होगी तथा ऑक्सीजन कारण व वायु का प्रदूषण से सभी पेड़. पौधे नष्ट हो जायगी क्यों कि इस क्षेत्र के पहले से ही पर्याप्त पेड़. पौधा नष्ट हो जायगी वन्य जीव व किसानों के आय स्त्रोत व जीवनयापन का सहारा पशुपालन पूर्ण रूप से नष्ट हो जायगी क्षेत्र की आम जनता के पानी पीने के एक मात्र स्त्रोत तालाब उपोर (लगभग 500 बिघा) है।

कमली

सरपंच

ग्राम पंचा...

पंचायत समि...

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

:- ताडावास
का :- ताडावास
नि. :- लालावास
ल :- खींवसर
ला :- नागौर

अंतिम चौमाला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 446
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नामः-

1. वन विभाग राजस्थान सरकार। हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1020/488	7.3572	गै.मु.मगरा 7.3572				
488/785	101.1713	गै.मु.मगरा 101.1713				
कुल खसरे - 2	108.5285	108.5285				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 30-May-2023

NIC

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
खींवसर

विशय :– ग्राम पंचायत बैरावास के राजस्व ग्राम बैरावास व ताडावास की गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एवं हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी की नियमानुसार आपत्ति दर्ज करने हेतु।

प्रार्थीगण :– समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत बैरावास एवं ग्रामवासी ताडावास।

श्रीमानजी,

उपरोक्त विशयान्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत बैरावास के राजस्व ग्राम बैरावास एवं ताडावास में स्थित लाईमस्टोन ब्लॉक 4GI-A जिला नागौर का आवंटन खनिज निदेशालय उदयपुर द्वारा इस लाईमस्टोन ब्लॉक का आवंटन बोली द्वारा जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एवं हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी को आवंटन हुआ है। उक्त लाईमस्टोन ब्लॉक में राजस्व ग्राम बैरावास की 135.8944 हैक्टेयर एवं राजस्व ग्राम ताडावास की 123.0330 हैक्टेयर भूमि गोचर किस्म की भूमि है। उक्त दोनों राजस्व ग्रामों की गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एवं हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी को नियमानुसार आपत्ति दी जाती है।

इस पर कोरम ने गहन विचार–विमर्श किया एवं भविश्य में गोवंश के चारा–पानी की व्यवस्था, ग्राम में स्थित पेयजल स्त्रोतों यथा नाडी, तालाब आदि का सौन्दर्य बनाए रखना सभी का नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है। इस हेतु राजस्व ग्राम बैरावास एवं ताडावास में जो गोचर भूमि 4GI-A लाइमस्टोन ब्लॉक के अधीन आ रही है। उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित राजस्व ग्रामों बैरावास एवं ताडावास में से ही संबंधित कम्पनियों जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एवं हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी अपने स्वयं के स्तर पर कास्तकारों से खरीद कर दोनों राजस्व ग्रामों बैरावास एवं ताडावास में स्थित गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति की जावें एवं ग्राम पंचायत के उक्त दोनों राजस्व ग्रामों से बाहर गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति नहीं की जावे। अगर ग्राम पंचायत बैरावास के दोनों राजस्व ग्रामों की गोचर की भूमि अगर अन्य राजस्व ग्रामों में क्षतिपूर्ति कर दी जाती है तो पंचायत के गोवंश की स्थिति दुर्भर हो जायेगी। तथा पशुओं के चारा–पानी की व्यवस्था करना

P. T. O.

असंभव हो जायेगा। तथा प्राकृतिक सौन्दर्य भी बिगड़ जायेगा। जिससे सम्पूर्ण पंचायतवासियों में भारी रोश व्याप्त है। अगर क्षतिपूर्ति हेतु अन्य जगह जमीन आवंटन कर दी गई तो ग्रामीण उग्र आन्दोलन करने को मजबूर हो जायेंगे। जिसकी तमाम जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।

अतः ज्ञापन पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत बैरावास के राजस्व ग्राम बैरावास व ताडावास की गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एवं हंसदीप इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा जो भूमि आवंटित हुई है उसमें गोचर की भूमि की क्षतिपूर्ति अन्य किसी पंचायत में नहीं करने के आदेश फरमावें। ताकि गांव में पशुओं का चारा–पानी हेतु सुचारू रूप से बनी रहें। अन्यथा ग्रामीणों द्वारा भारी आन्दोलन किया जायेगा।

कोषाध्यक्ष
शिव महादेव गौशाला सेवा समिति
बैरावास (नागौर)

सरपंच
ग्राम पंचायत बैरावास
पं.स.खींवसर (नागौर)

पदमाराम
अध्यक्ष
शिव महादेव गौशाला सेवा समिति
बैरावास (नागौर)

सचिव
शिव महादेव गौशाला सेवा समिति
बैरावास (नागौर)